लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक सभा

शनिवार, ५ मार्च, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाया जाना

भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगड़ा

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस के बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "२८ फरवरी, १९५५ के स्टेट्समैन में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी के झगड़े की नवीनतम स्थिति के बारे में काफ़ी शंका पैदा हो गई है ।"

योजना और सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (**श्री नन्दा**) : यह शंका निराधार है । सदन को याद होगा कि २७ अगस्त १९५४ को इस झगड़े की बातचीत का संक्षिप्त इतिहास देने के बाद मैंने विश्व बैंक के ५ फ़रवरी १९५४ के प्रस्ताव की ओर निर्देश किया था, जिसे भारत ने तो स्वीकार कर लिया था, किन्तु पाकिस्तान ने नहीं किया था । बैंक के कहने पर ६ दिसम्बर, १९५४ को कुछ नये निर्देश पदों के आधार पर वाशिंगटन में चर्चा पुनः जारी की गई थी । ये निर्देश पद १३ दिसम्बर, १९५४ को प्रकाशित किये गये थे । विश्व बैंक के प्रबंधक इस झगड़े का संतोषजनक हल निकालना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं । दिसम्बर, १९५४ में चर्चा पुनः जारी होने के समय पर निर्णय किया गया था कि इस में भाग लेने वाला बैंक दल बैंक के प्रबन्धकों के अधीन होना चाहिये और श्री डब्ल्यू० ए० वी० इलिफ़, बैंक के अध्यक्ष के सहायक, बैंक दल के अध्यक्ष के रूप में प्रबन्धकों के प्रतिनिधि होंगे । बैंक दल के और सदस्य सर्वश्री व्हीलर, बैशोर और बारू हैं जोकि शुरू से बैंक की ओर से इस काम में भाग लेते रहे हैं ।

चूंकि नये काम में विस्तृत रूप से योजनायें बनाने का काम भी सम्मिलित था, इसलिये कर्मचारीवृन्द में कुछ नये इंजीनियर नियुक्त करना आवश्यक था । सारे मामले को फिर से शुरू करने का प्रश्न नहीं है। निर्देश पद, बिल्कुल स्पष्ट हैं और नई बातचीत पहले आधार पर अर्थात् बैंक के ५ फरवरी १९५४

[श्री नन्दा]

के प्रस्ताव के आधार पर शुरू की जायेगी । सिंध तास के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने और योजना तैयार करने में जो समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, उन की जांच करने के लिये बैंक के नये पदाधिकारियों के लिये स्थान पर जा कर दौरा करना आवश्यक हो गया हैं ।

यह सत्य नहीं है कि बैंक मिशन को सिंध तास की समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं है । इस के तीन सदस्य मसर्ज़ इलिफ़, व्हीलर और बैंगस्टन शुरू से बातचीत में भाग लेते रहे हैं । चूंकि विश्व बैंक इस मामले में बहुत रुचि ले रहा है और दोनों पक्ष झगड़े को सुलझाना चाहते हैं, इसलिये भारत सरकार आशा करती है कि संतोषजनक समझौता हो जायेगा ।

आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब १ मार्च, १९५५ को श्री करमरकर द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर और आगे चर्चा आरम्भ होगी :

> "आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि विदेशी व्यापार पर और पांच साल की अवधि अर्थात् ३१ मार्च, १९६० तक के लिये नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार की शक्तियां बढ़ाई जायें । मुझे हर्ष है कि इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर राज्य में भी लागू किया जा रहा है । विदेशी व्यापार पर नियंत्रण द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में—लगभग १५ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था । मेरे विचार में सदन के सब विभाग यह बात मानेंगे कि सरकार को यह शक्ति देने की आवश्यकता है और वर्तमान विश्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें यथासंभव अधिक से अधिक विदेशी विनिमय बचाना है और इस का अधिक से अधिक प्रयोग करना है । यदि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यहां उपस्थित होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं और इस अधिनियम की कार्यान्विति में त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं । यह बात स्वीकार की जाती है कि इस सम्बन्ध में नीति के बदलते रहने के कारण आन्तरिक बाज़ार में मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है । आयात और निर्यात नीति केवल विदेशी विनिमय नीति को ध्यान में रख कर नहीं निर्धारित करनी चाहिये, मुख्य बात अर्थात् देशी उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण देने की आवश्यकता पर भी उचित ध्यान देना चाहिये । एक स्पष्ट निश्चित नीति न होने के कारण बहुत से उद्योगों को कठिनाई पेश आई है और भ्रष्टाचार और पक्षपात की भी शिकायतें की गई हैं । मुझे हर्ष है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें अब कम हो गई हैं । मुझे आशा है कि विलम्ब को रोकने के लिये भी पग उठाये जायेंगे ।

१९५३ के आरम्भ से आयात और निर्यात नीति में कुछ स्थिरता लाने का प्रयत्न किया गया है और यह संतोषजनक बात है कि आयात और निर्यात व्यापार लाइसेंसों के मामले में अब उतना विलम्ब नहीं होता जितना पहले हुआ करता था । मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिये भी कुछ और कार्यवाही की जाये । एक आश्वासन दिया जाना चाहिये कि मंत्रालय या मंत्री से सम्बन्धित किसी व्यक्ति

को लाइसेंस या शर्तों के सम्बन्ध में कोई सुविधा नहीं दी जायेगी । चूंकि नीति अब भी मुख्यतया विदेशी विनिमय की स्थिति और कोटा प्रतिशतता पर आधारित है, इसलिये कई मामलों में देशी उद्योगों के हितों की उपेक्षा हुई है और आयात आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं । इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । सांकेतिक आयात प्रणाली और नियंत्रण को क्रमशः ढीला करने की नीति का उपभोक्ताओं की दृष्टि से स्वागत किया जायेगा । परन्तु मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि केवल इस आधार पर कि कुछ निश्चित कोटे के लिये लाइसेंस देने से आयात व्यापार का तरीका स्थिर हो जाता है, वास्तविक उपभोक्ताओं को अन्धाधुन्ध नहीं दिये जाने चाहियें । उदाहरण के लिये किसी व्यापार में लगे हुए व्यक्ति को विदेशों से सीधा आयात करने में सहायता देने की योजना पर विचार करने की आवश्यकता है और मेरे विचार में आयात तथा निर्यात मंत्रणा समिति ने भी यह सुझाव दिया था । मैं आशा करता हूं कि वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और रिज़र्व बैंक प्राधिकारी मिल कर इस सम्बन्ध में कोई योजना बनायेंगे ।

एक और बात जिस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है यह है कि तदर्थ लाइसेंस देने की प्रणाली के विस्तार पर नियंत्रण करना चाहिये । इस का एक पहलू जोकि विशेष रूप से आपत्तिजनक है कि कुछ वस्तुओं जैसाकि सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और कच्चे रेशम के लिये आयात के लाइसेंस कुछ विशिष्ट फर्मों को दिये जाते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

आयात नियंत्रण जांच समिति ने यह सिफ़ारिश की थी वर्तमान बीमा भाड़ा व्यय सहित आयात ठेकों के स्थान पर जहाज़ के भाड़े सहित ठेके रखने चाहियें और कहा था कि वित्त मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और रिजर्व बैंक को इस समस्या की सविस्तार जांच करनी चाहिये । जहां तक मुझे ज्ञात है इस प्रयोजन के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है और यद्यपि आयात मंत्रणा परिषद् ने समय-समय पर इस सिफ़ारिश की पुनरावृत्ति की है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

आयात लाइसेंस देने वालों और प्रशुल्क प्राधिकारियों के बीच भी उचित समन्वय होना चाहिये । समन्वय न होने के कारण आयात माल के निबटारे में बहुत विलम्ब होता है । वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को इस विलम्ब को रोकने का उचित तरीका निकालना चाहिये ।

अब मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि विदेशी और आन्तरिक बाज़ारों में मूल्यों की प्रवृत्ति का पर्याप्त और उचित रिकार्ड रखना चाहिये । आर्थिक मंत्रणादाता के कार्यालय में मूल्य सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने की जो व्यवस्था है, वह सर्वथा असन्तोषजनक है ।

यह स्पष्ट है कि आयात नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है, क्योंकि कुछ उद्योगों को संरक्षित करना अत्यावश्यक है और केवल ऊंचे प्रशुल्कों से काम नहीं चल सकता । इसलिये नियंत्रण करने के लिये सरकार को शक्ति देना अनिवार्य है । एक और बात जिस के लिये मैं अनुरोध करता हूं यह है कि नीति का पुनर्विलोकन प्रत्येक ६ मासों के बाद नहीं बल्कि वार्षिक आधार पर होना चाहिये ताकि इस में अधिक स्थिरता लाई जा सके और मूल्यों में, विशेष कर कृषि उत्पाद के मूल्यों में कमी होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके । मुझे विश्वास है कि योग्य अर्थ शास्त्री और प्राधिकारी इस आशय की नीति निर्धारित कर सकते हैं ।

श्री करमरकर : क्या माननीय सदस्य एकाधिपत्य वाले आयात और निर्यात कर्ता चाहते हैं या यह चाहते हैं कि यह सुविधा अधिक लोगों को दी जाये ?

श्री एन० सी० चटर्जी : अधिक लोगों को दी जाय ।

श्री करमरकर : यह हमारी नीति के विरुद्ध है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं चाहता हूं कि नीति ऐसी हो जिस से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचे और उद्योग विकसित हों ।

सभापति महोदय : श्री यू० एम० त्रिवेदी ने एक औचित्य प्रश्न किया था, विधि मंत्री उसे स्पष्ट करें ।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): पिछली बार माननीय सदस्य श्री त्रिवेदी ने एक प्रश्न उठाया था कि अधिनियम की धारा ४-क इस बात की व्यवस्था करती है कि आवेदन पत्रों पर फीस ली जायेगी और उन्होंने यह भी दलील दी कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार यह एक प्रकार का कर ही है । मैं ने बड़े ध्यान से निर्णयों की जांच की है और मेरा विचार है कि माननीय सदस्य की दलील ठीक नहीं है ।

खंड ४ में केवल यही कहा गया है :

> ".....'कोई अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा उस के नवीकरण के बारे में आवेदन पत्र पर' शब्दों के स्थान पर 'किसी आवेदन पत्र पर अथवा किसी दी गई अथवा नवीकरण की गई अनुज्ञप्ति पर' शब्द रखे जायेंगे" ।

धारा के संशोधन का आशय यह है कि वे सब आवेदन पत्रों पर चाहे वे आयात या निर्यात की अनुज्ञप्ति जारी करने के बारे में चाहे उस के नवीकरण के बारे में, उस पर फीस ली जायेगी ।

माननीय सदस्य का विचार था कि यदि यह कर है तो यह धन विधेयक बन जायेगा और ऐसा होने पर इसे राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और दूसरे यह कि इस के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित होगी । उन्होंने यह आपत्ति की थी । परन्तु यह तो केवल फीस है इस लिये उन की आपत्ति व्यर्थ है । उन्होंने उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों की ओर निर्देश किया जिन में से एक उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय से था और दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय से था । इन में फीस और कर दर और इन दोनों की संवैधानिक अवस्था पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है । हमारे संविधान में फ़ीस और कर में अन्तर स्पष्ट रूप से बताया गया है । प्रथम सूची की मद ९६ में विशेष रूप से फ़ीस लगाने की शक्ति प्रदान की गई है । फिर फ़ीस और कर के सम्बन्ध में सब विधि पर विचार किया गया और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि कर और फ़ीस के लक्षणों में स्पष्ट अन्तर है । मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय अधिक विस्तृत है और वे कहते हैं कि आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री लैथम, द्वारा मैथ्यूस बनाम चिकोरी मार्केटिंग बोर्ड में कर की स्पष्ट परिभाषा दी गई है :

> "कर एक ऐसा धन है जिसे सरकारी प्राधिकारी सार्वजनिक कार्यों के लिये विधि के अनुसार अनिवार्य रूप से मांग सकते हैं । यह धन की गई सेवाओं के बदले के रूप में नहीं होता" ।

> "कर और फीस में यह अन्तर है कि कर सामान्य भार के अंग के रूप में लगाया जाता

है और फ़ीस किसी विशेष लाभ अथवा सेवा के लिये। फ़ीस एक विशेष सुविधा और एक विशेष अवस्था के लिये होती है जैसे दस्तावेजों या विवाह अनुज्ञप्तियों की पंजीयन फ़ीस के मामले में सार्वजनिक हित के मूल उद्देश्यों से भिन्न होते हैं, जो कर और फ़ीस लगाये जाते हैं उन सब का आधार सार्वजनिक हित होता है....."।

इस में कोई सन्देह नहीं कि कई बातों में कर फीस से मिलता है और कठिनाई इस बात में होती है कि दोनों में कैसे भेद किया जाये ? निस्सन्देह कर एक ऐसा धन है जो सरकारी प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये विधि के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाता है परन्तु कर का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण लक्षण एक यह भी है कि कर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये राज्य का ख़र्च पूरा करने के हेतु करदाताओं को बिना कोई विशेष लाभ दिये लगाया जाता है।

मैं उन का ध्यान इस मूल आधार की ओर दिलाता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी: क्या यह न्यायाधिपति मुकर्जी का ध्यान है ?

श्री पाटस्कर : जी हां, उन का कहना है कि कर का सम्बन्ध उन विशेष लाभों से नहीं है जो करदाता को दिये जाते हैं इसी आधार पर उन्होंने इस मामले का निर्णय किया है।

इसे फ़ीस के रूप में लगाने का विचार है। अनुज्ञप्ति फ़ीस सामान्य भार के रूप में एकत्र नहीं की जानी है बल्कि इसलिये कि इस से कुछ लोगों को विशेष लाभ होता है। उदाहरणतः उन लोगों को जो अनुज्ञप्ति मांगते हैं और जो अनुज्ञप्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये उन्हें फीस देनी पड़ेगी। यह सामान्य कर के रूप में सामान्य राजस्व में जमा नहीं होगा।

कर और फीस में एक और अन्तर है और वह है करदाता पर लगाये जाने वाले कर की मात्रा। कर के मामले में मात्रा करदाता की भुगतान शक्ति पर निर्भर करती है। फ़ीस के मामले में यह किसी विशेष व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। कर और फीस के स्वरूप में यह मूल अन्तर है। फीस की मात्रा किसी व्यक्ति की क्षमता पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसे एक लाभ प्राप्त करना है। इसलिये वह सब के लिये समान है। अतः सारे निर्णय पर विचार करने से मुझे विश्वास हो गया है कि यह अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त और कुछ नहीं जैसे कि उड़ीसा उच्च न्यायालय से अपील के मामला में कहा गया है। जहां तक इन विषयों का सम्बन्ध है यह स्वयं उपबन्ध की भाषा से स्पष्ट है कि यह केवल अनुज्ञप्ति फ़ीस है जो इस से सम्बन्धित कार्य पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिये कुछ राजस्व एकत्र करने के लिये लगाई गई है। अतः औचित्य प्रश्न में कोई ठोस बात नहीं है।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) क्या यह बात अनुच्छेद ११० (२) में नहीं आ जाती है ?

श्री पाटस्कर : माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात के बारे में मुझे यह कहना है कि मद्रास उच्च न्यायालय के एक मामले में वास्तव में वह उसी रूप में था परन्तु वे इस परिणाम पर पहुंचे कि इस के स्वरूप से यह फ़ीस प्रतीत होती है। परन्तु वास्तव में यह कर था। इसलिये यह जानने के लिये

[श्री पाटस्कर]

कि क्या यह फीस है या कर इस के रूप की बजाये इस के विषय पर विचार करना आवश्यक था । इस मामले में कोई भी व्यक्ति देखते ही यह कह सकता है कि यह केवल अनुज्ञप्ति के लिये फीस है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से सहमत हूं और मैं औचित्य प्रश्न को नियम विरुद्ध ठहराती हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस विधान के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं । इसे नौकर-शाही सरकार ने १९४० में भारतीय सुरक्षा नियमों के अधीन पुरःस्थापित किया था । उन का उद्देश्य भारत के उद्योग को लाभ पहुंचाना नहीं था परन्तु स्वतंत्रता मिलने पर हम ने कुछ सामाजिक उद्देश्यों से आयात और निर्यात पर नियंत्रण करना चाहा । हमारा उद्देश्य था कि आयात को इस प्रकार नियमित किया जाये कि भारतीय उद्योग उन्नति कर सकें । मैं अनुभव करता हूं कि एक कल्याणकारी राज्य आयात निर्यात जैसा व्यापार निजी अभिकरणों को नहीं सौंप सकता क्योंकि वे कभी भी राष्ट्रीय हित की ओर ध्यान नहीं देते । इसलिये देश की अर्थ व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता ।

अपनी योजनाओं के लिये धन प्राप्त करने के हेतु हम कर लगा रहे हैं परन्तु यदि आयात निर्यात को पूर्णतया अपने हाथ में ले लिया जाये तो सारा लाभ राज-कोष में जायेगा परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या यह काम बिना पक्षपात, भ्रष्टाचार और परिवार-पालन के चल सकेगा । सरकारी विभागों में पहले ही बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है । स्वयं कांग्रेस के सदस्य सरकार पर भ्रष्टाचार का दोष लगाते हैं । आज के टाइम्स आफ इंडिया पत्र में भी इस बार का उल्लेख किया गया कि पंजाब विधान मंडल में एक कांग्रेसी सदस्य ने एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सरकार की बड़ी निन्दा की है ।

पिछली बार माननीय मंत्री ने कहा कि यदि हम आयात और निर्यात पर नियंत्रण न करें तो बड़ी अव्यवस्था फैल जायेगी । परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा करने से अव्यवस्था और भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा कोई व्यक्ति जो देख सकता है यह नहीं कहेगा । कि भ्रष्टाचार नहीं है । श्री कर-मरकर चाहे इस बात से इनकार करते रहें । सरकारी प्रकाशनों में भी इस का उल्लेख किया जा चुका है ।

मैं यह सुझाव देता हूं कि इस विषय पर जनता के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये न कि इस दृष्टि से कि सरकार को असुविधा अथवा कठिनाई होती है । माननीय मंत्री ने कहा कि यदि मैं उन के कमरे में जा कर इस पर चर्चा करूं तो मुझे विश्वास हो जायेगा कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है ।

श्री करमरकर : मैं ने माननीय सदस्य को कभी ऐसा नहीं कहा । मैं उन्हें चाय पर निमंत्रण दे सकता हूं परन्तु भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिये नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं बताना चाहता हूं कि इस विषय में सरकारी प्रकाशनों का क्या मत है और इस के लिये मैं प्राक्कलन समिति का १९५०-५१ का तृतीय प्रतिवेदन देखने को कहूंगा । १९५१-५२ से पूर्व यह सुझाव दिया गया था कि एक शिकायत समिति नियुक्त की जानी चाहिये इस से भ्रष्टाचार की शिकायतें तो कम हो गई हैं परन्तु इस का यह कारण है कि निजी आयात अथवा निर्यात करने वाला जिस के खिलाफ़ शिकायत करता है वही उस शिकायत

का निर्णय करता है । वाणिज्य मंत्री स्वयं इसे स्वीकार कर चुके हैं कि अनुज्ञप्तियां देने के मामलों और उन के सम्बन्ध में शिकायतों का निबटारा वे स्वयं करते हैं ।

आश्चर्य की बात है कि अनुज्ञप्तियों की प्रार्थनाओं का निपटारा करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें होती हैं, वे उन्हीं अधिकारियों को भेज दी जाती हैं । समिति का यह मत है कि जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने और विभाग में से भ्रष्टाचार तथा कुटुम्ब-पालन के दोषों को निकालने के लिये यह पुराना तरीका अच्छा नहीं है । केवल मैं ही नहीं अपितु प्राक्कलन समिति भी कहती है कि विभाग में से भ्रष्टाचार के दोषारोपों को निकालना चाहिये । समिति ने इस की जांच के लिये जिला न्यायाधीश के साथ एक ऐसी समिति नियुक्त करने की सरकार से प्रार्थना की है । किन्तु क्या सरकार ने इन आरोपों को सिद्ध करने के लिये ऐसी कोई समिति नियुक्त की है ?

श्री गोरावाला ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी बड़े व्यापारियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिये अनुज्ञप्तियां, विशेष कर निर्यात तथा आयात अनुज्ञप्तियां देने के मामले में भ्रष्टाचार करते हैं और सब से बुरी बात यह है कि परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी प्रकट हो जाती है । निर्यात तथा आयात नीति की घोषणा होने से पहले ही यह व्यापारियों को मालूम हो जाती है और वे उस नीति का खंडन करने के लिये कार्यवाही कर लेते हैं ।

योजना आयोग ने इस भ्रष्टाचार को अनुभव करते हुए कहा कि प्रशासन सम्बन्धी अपर्याप्त निरीक्षण और ध्यान न होने के कारण बड़े व्यापारी अवैध लाभ से अपने घर भर लेते हैं ।

योजना आयोग ने व्यापारी साथों द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों के सम्बन्धियों और मित्रों को नौकर रख लेने की प्रथा का जोरदार विरोध किया है और इस प्रथा को निरुत्साहित करने की आवश्यकता बतलाई है । वाणिज्य मंत्री सदा यही राग अलापते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है और अच्छा ह, परन्तु मैं यह कहूंगा कि उन के विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है । सरकार ने एक लम्बी सूची तैयार की है जिस के द्वारा भ्रष्टाचार को छपाने का प्रयत्न किया गया है । मैं जानता हूं कि बम्बई राज्य में कई साथों को करोड़ों रुपये की आयात अनुज्ञप्तियां दी गई हैं । मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सरकारी नियम क्या हैं । मैं उन व्यापारियों के हितों को बचाना चाहता हूं जो ईमानदारी के साथ अपनी जीविका कमाते हैं ।

प्राक्कलन समिति ने इन सब मामलों की जांच पड़ताल करने के लिये एक जिला न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी । योजना आयोग ने भी सम्पर्क करने वाले व्यक्तियों को रखने की बुरी प्रथा का उल्लेख किया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को एकमात्र आयातक और निर्यातक होना चाहिये । परन्तु सरकार को यह भी देखना होगा कि कहीं भ्रष्टाचार न होने पाये । मेरा निवेदन यह है कि समाजवादी रूपरेखा में प्रभावित व्यक्तियों को न्यायालय में जा कर अपना मामला रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, जहां वे सारी बात खोल कर कह सकें और ऊपर का कोई दबाव न पड़ने पायें । मंत्रियों को इतना संवेदनशील होना चाहिये कि वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी व्यक्ति का तुरन्त पता लगा कर उसे दूर करने का प्रयत्न करें । यदि उन को भ्रष्टाचार को देखते रहने की आदत पड़ गई, तो यह समाज के लिये बड़ी घातक

[श्री एस० एस० मोरे]

सिद्ध होगी, और लोगों को खुल्लमखुल्ला मंत्रियों का विरोध करने को बाधित होना पड़ेगा ।

श्री वी० बी० गांधी : अन्य पांच वर्षों के लिये नियंत्रण जारी रखने की मांग करने वाले इस विधेयक से यह प्रतीत होता है कि इन वर्षों में कोई ऐसी घटना होने वाली है, जो इन नियंत्रणों को हटा देगी । सभा को तथ्यों को सामने रखते हुए इसी बात का परीक्षण करना अभिप्रेत है ।

मैंने पांच वर्ष के स्थान पर दस वर्ष की अवधि बढ़ाने का संशोधन रखा है, क्योंकि संसार की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि नियंत्रण के बिना वाणिज्य और उद्योग सुरक्षित नहीं रह सकते ।

विरोधी पक्ष के वक्ताओं और विशेष कर श्री एन० सी० चटर्जी ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए नियंत्रण को अनिवार्य सिद्ध किया है । इस मंत्रालय का कार्य अत्यन्त व्यापक और विस्तृत होने के कारण कुछ गलतियां होना संभव है, किन्तु सरकार उन गलतियों को मान कर उन्हें सुधारने को तैयार है ।

श्री मोरे ने पुस्तकों और प्रतिवेदनों के आधार पर भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है, किन्तु वास्तव में यह स्थिति तीन या चार वर्ष पहले की है । इस समय वैसी स्थिति नहीं है ।

निस्सन्देह हमारे देश में नियंत्रण का श्रीगणेश युद्ध के साथ हुआ, किन्तु युद्ध के बिना भी नियंत्रण हो सकते हैं, जैसाकि पश्चिम यूरोप के बहुत से देशों को इस का आश्रय लेना पड़ा । उन दिनों में नियंत्रण का कारण यह था कि व्यापार अन्तर प्रतिकूल था । व्यापार अन्तर के प्रतिकूल होने के कारण यूरोपीय देशों में अवमूल्यन हुआ और अवमूल्यन को रोकने के लिये नियंत्रण का सहारा लेना पड़ा । इसलिये हमें अपने व्यापार अन्तर को संभालना चाहिये । दूसरा कारण यह है कि हम योजना में संलग्न हैं ।

मंत्री महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अब भविष्य में निर्यात नियंत्रण के स्थान पर निर्यात की उन्नति होगी ।

वाणिज्य तथा वित्त मंत्रियों के भाषणों से यह प्रभाव मिलता है कि हमारा भुगतान संतुलन बिल्कुल ठीक है । किन्तु हम नहीं समझते कि यह बात सर्वथा सत्य है, क्योंकि हमारा भुगतान सन्तुलन विदेशी सहायता और हमारी पौण्ड पावना के कारण ऐसा हुआ न कि हमारी आर्थिक स्थिति के कारण ।

योजना के चार वर्षों में हम ने अपनी पौण्ड पावना का बड़ा अंश खर्च कर दिया है और १९५१ तथा १९५२ में कोरिया-युद्ध और अवमूल्यन के कारण हमारा निर्यात बहुत अधिक बढ़ गया था और हम ने १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में १९४९-५० की तुलना में ३५० करोड़ से अधिक रुपये के माल का निर्यात किया । हम यह सब खर्च कर चुके हैं ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमें मार्च १९५५ के अन्त तक १५६ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिलेगी। इस प्रकार लगभग ६५० करोड़ की राशि हो जायगी । इस का कारण कोरिया युद्ध है, जो बार बार नहीं आयगा । अवमूल्यन कोरिया युद्ध और विदेशी सहायता के आधार पर हम अपनी निर्यात तथा आयात नीति नहीं बना सकते ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को ४७० लाख डालर

वापिस लौटा रहे हैं । किन्तु यह तो एक प्रकार का ऋण है, जो हमें एक निश्चित अवधि के पश्चात् लौटाना ही है । मैं इस बात का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिये कर रहा हूं कि हमारा भुगतान सन्तुलन ऐसा नहीं है, जैसा यह प्रतीत होता है ।

अतः सभा को इन नियंत्रणों को न केवल स्वीकार ही कर लेना चाहिये, अपितु इन के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग भी देना चाहिये, क्योंकि मुझे आशा है कि हम सरकार के इस मत से सहमत हैं कि अभी आत्म सन्तुष्टि का कोई कारण नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस: माननीय वाणिज्य मंत्री ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए क्रियात्मक सुझाव मांगे थे । यह एक विशाल तथा विस्तृत क्षेत्र है । मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि इस विधेयक का सामान्यतः स्वागत किया गया है । श्री एन० सी० चटर्जी ने बहुत से क्रियात्मक सुझाव प्रस्तुत किये हैं जो इस सभा के अधिकांश सदस्यों को स्वीकार्य होंगी। किन्तु श्री मोरे की आलोचना ठीक प्रकार की नहीं थी। यह भारत सरकार की नीति का एक अंग है कि देश के आयात तथा निर्यात व्यापार के बारे में सरकार का मुख्य रूप से नियंत्रण होना चाहिये । बृटेन जैसे अग्रगामी देश में भी इस प्रकार का नियंत्रण रहता है । मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम ने अन्य देशों के साथ तो व्यापार सम्बन्धी समझौते किये हैं उन से हमारे विदेशी व्यापार का कहां तक विस्तार हुआ है । सभा में दिये गये उत्तरों से तो ऐसा जान पड़ता है कि इन करारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य व्यापार समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ? इस विषय में सरकार की कठिनाइयों को समझा जा सकता है, क्योंकि व्यापार में सट्टे का कुछ न कुछ अंश अवश्य रहता है और सरकारी अधिकारियों के लिये जोखिम का काम करना कठिन सी बात है । किन्तु एक सुझाव यह दिया गया है कि राज्य व्यापार निगम निजी आयात तथा निर्यात कर्ताओं की सहायता कर सकता है । आशा है कि माननीय मंत्री इस विषय में कुछ प्रकाश डाल सकेंगे ।

मुझे सरकार की आयात तथा निर्यात सम्बन्धी नीति के बारे में एक शिकायत यह है कि आयात और निर्यात शुल्क निर्धारित करते समय बाज़ार के उतार चढ़ाव पर यथाशीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती । विदेशी बाज़ारों में हमारी स्थिति को बनाये रखने के लिये इस विषय में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बीच उचित समन्वय नहीं है । इस का परिणाम यह होता है कि विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिपारिशों पर ठीक प्रकार से कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

एक शिकायत यह भी की गई है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यद्यपि मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने यह कहने की कृपा की है कि यह भ्रष्टाचार कम हो गया है। मैं कहता हूं कि इतने अधिक भ्रष्टाचार का मुख्य कारण तो यह है कि यह सभी कार्य दिल्ली में ही केन्द्रित रहता है ।

एक प्रकार के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता है, जैसे उदाहरण के लिये सरकार ने कोचीन में आयात तथा निर्यात के उपमुख्यायुक्त का कार्यालय खोला है । ऐसे कार्यालय मुख्य केन्द्रों में और खोले जायें जिस से कि आयात तथा निर्यात दोनों प्रकार की अनुज्ञप्तियां जारी करने में सुविधा हो ।

[श्री ए० एम० थामस]

ऐसे विकेन्द्रीयकरण से जनता को लाभ ही होगा ।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पूरे देश के हितों पर विचार करते समय हमें कुछ प्रादेशिक अन्तरों का भी ध्यान रखना चाहिये । उदाहरण के लिये, त्रावनकोर-कोचीन में चावल का अभाव है परन्तु उसका मुख्य आधार नारियल की गिरी का व्यापार और उस उद्योग के उप-उत्पाद ही हैं । जब केन्द्रीय सरकार इस समस्या पर विचार करती है तो स्थानीय अर्थ-व्यवस्था पर उस की निगाह नहीं रहती है । २८ फ़रवरी को पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि नारियल के तेल की कुल आवश्यकता का ७५ प्रतिशत देश की उपज से पूरा हो जाता है । इस प्रकार सरकार के अनुसार भी कमी केवल २५ प्रतिशत की ही है । चूंकि अभाव इतना कम है इसलिये सरकार को आयात का नियमन बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे राज्य के कुछ भागों पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ेगा । हमारे राज्य के नारियल उगाने वाले "लंका के नारियल" के नाम से ही घबराते हैं क्योंकि लंका के नारियल का बेहिसाब आयात किया गया है और उस का आयात शुल्क भी बिना किसी सोच-विचार के घटा दिया गया है । मेरा निवेदन है कि आयात करते समय उचित आयात-शुल्क लगाया जाना चाहिये जिस से कि यहां के उत्पादक लंका तथा मलाया के उत्पादकों का मुक़ाबिला कर सकें । इसलिये आयात तथा निर्यात की नीति निर्धारित करते समय प्रादेशिक अन्तरों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सरकार की आयात तथा निर्यात नीति जिन विचारों पर आधारित है उन में से आयात की नीति सम्बन्धी कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख माननीय मंत्री ने किया था । मेरा कहना यह नहीं है कि उन बातों का विचार न रखा जाये वरन् मैं कहना यह चाहता हूं कुछ अन्य बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

हमारी अर्थ-व्यवस्था एक योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था है । इसलिये हमारी जो भी नीति हो, चाहे वह व्यापार के सम्बन्ध में हो या उद्योग के सम्बन्ध में हो या कृषि के सम्बन्ध में हो, उसे हमारी विकास योजना के अनुकूल होना चाहिये । भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनाई है उस में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है कि उस के बनाने में उद्योग की आधारभूत आवश्यकताओं का मुख्य रूप से विचार रखा गया ह या इस बात का ध्यान रखा गया है कि जनता के आहार-पोषण की लागत पर या हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्य खण्डों पर इस का क्या प्रभाव होगा । इस के अतिरिक्त अभी तक जिस नीति का पालन किया गया है उस से हमारी आर्थिक व्यवस्था को लाभ भी नहीं पहुंचा है ।

ब्रह्मा के चावल के आयात के ही उदाहरण को लीजिये । जब यह प्रश्न सभा के सामने आया था तो मैं ने कहा था कि ४८ पौंड प्रति टन की दर बहुत ऊंची थी और इतनी ऊंची दर पर आयात करना हमारे देश के हित में नहीं था । उस समय की ब्रह्मा की प्रचलित दर भी केवल ३४ पौंड प्रति टन थी । उस समय मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था । और अब वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में बताया है कि इस सौदे के कारण हमें ४५ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और यह घाटा १५ वर्षों पर फैला दिया गया है । अब आप ही देखिये कि हमारी आयात नीति किस प्रकार चलती रही है ।

इसी प्रकार एक और उदाहरण अभी हाल का है। सोडा ऐश (भस्म) के वितरण के लिये अभी तक यह होता था कि प्रतिष्ठित आयात करने वालों को अनुज्ञप्तियां दी जाती थीं या सरकार स्वयं आयात करती थीं और उस का वितरण मान्यता प्राप्त स्रोतों के द्वारा किया जाता था। अब सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, नकली रेशम, तथा कास्टिक सोडा को आयात करने तथा वितरण करने का एकाधिकार दो समवायों को दिया गया है जिन में से एक देशी है जिस का नाम है टाटा आयल मिल्स लिमिटेड और दूसरा एक विदेशी समवाय है जिस का नाम है आई० सी० आई० लिमिटेड।

श्री करमरकर : उन को आयात करने का अधिकार नहीं दिया गया है वरन् केवल वितरण का अधिकार दिया गया है जिस के लिये वह १२½ प्रतिशत ले सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आयात नीति के सारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया गया है। यही काम यदि छोटे वितरकों को भी दिया गया होता तो बहुत से व्यक्तियों को लाभ होता।

राज्य-संचालित व्यापार को ही लीजिये। इस के सम्बन्ध में एक समिति डा० पी० एस० देशमुख के सभापतित्व में बनाई गई थी। उस के प्रतिवेदन में बहुत सी सिफ़ारिशें की गई है यहां तक कि कर जांच आयोग ने भी उस प्रतिवेदन का हवाला दिया है और कहा है कि राष्ट्र के हित में यह आवश्यक और संभव भी है कि हमारे व्यापार के कुछ खण्ड ऐसे हों जिन के संचालन को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। उस ने यह भी सिफ़ारिश की है कि कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में तो कोई राजकोषीय एकाधिकार होना आवश्यक है। परन्तु इस विचार को ही अस्वीकार कर दिया गया है। अभी कुछ दिन हुए सुझाव दिया गया था कि रेलवे बोर्ड में मजूरों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कुछ न कुछ करना आवश्यक है। परन्तु सरकार किसी भी सुझाव पर ध्यान नहीं देती है। एक ओर घोषणा तो यह की गई है कि हमारी सरकार का लक्ष्य समाज के लिये एक समाजवादी ढांचा तय्यार करना है परन्तु दूसरी ओर जो काम किये जाते हैं वे इस के बिल्कुल विपरीत होते हैं।

एक और उदाहरण हमारे सामने सीमेंट उद्योग का है। ब्रह्मा में हमारी सीमेंट के लिये बहुत अच्छा बाज़ार है, परन्तु सीमेंट पर निर्यात-शुल्क इतना भारी लगाया गया है कि ब्रह्मा का बाज़ार हमारे हाथ से निकला जा रहा है और जापान ब्रह्मा के बाज़ार में सफलता के साथ व्यापार कर रहा है। गत वर्ष जापान से ब्रह्मा को होने वाला निर्यात २,००० टन से २०,००० टन हो गया जबकि भारत से ब्रह्मा को होने वाला निर्यात २२,००० टन से घट कर ६,००० टन रह गया।

हम ने अपने देश में सूती कपड़े के उत्पादन को बढ़ाया है, फिर भी हमारे देश की सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत केवल १५ गज है जबकि युद्ध के पहले १६ गज़ थी। एक ओर लंकाशायर के उद्योगपति अपनी सरकार पर ज़ोर दे रहे हैं कि भारत से आने वाले सूती वस्त्रों पर और अधिक शुल्क लगाया जाये दूसरी ओर हमारे देश में सूती वस्त्रों के मूल्य इतने अधिक हैं कि वह हमारे देश की जनता की क्रयशक्ति के पहुंच के बाहर है। यदि सूती कपड़े का निर्यात रोक दिया गया होता और जितना कपड़ा हमारे हमारे देश में बनता है उस की कुल मात्रा की खपत हमारे देश में ही होती तो कम से कम देश के अन्दर ही कपड़े के दाम घट गये होते और हमारे देश के उपभोक्ताओं को लाभ होता। परन्तु हमारी नीति का परिणाम यह हुआ है

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कि हम ने इंगलैण्ड के बाज़ार में गड़बड़ी पैदा कर दी और हम ने अपने देश के बाज़ार से पूरा लाभ नहीं उठाया है ।

कर जांच आयोग ने जो आंकड़े दिये हैं उन से पता चलता है कि साम्राज्यवादी अधिमान या राष्ट्रमण्डलीय अधिमान का परिणाम यह हुआ है कि हमें दो तीन करोड़ पये का घाटा उठाना पड़ा है । व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार (जी० ए० टी० टी०) की शर्तों में से एक शर्त यह थी कि उस के साथ साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था भी बनाई जायेगी । हवाना चार्टर आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है । मंत्रालय ने कई बार उन उत्तर-दायित्वों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो उसे व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य क़रार के सदस्य होने के कारण कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में अपने ऊपर लेने पड़े थे, परन्तु हमें अभी तक इस में सफलता नहीं मिली है । ऐसी स्थिति में हमें इस से लाभ ही क्या है कि हम व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सदस्य भी बने रहें और साथ ही साथ हमें अपने अधिकारों के लिये संघर्ष भी करना पड़े । मैं आशा करता हूं कि हमारी व्यापार नीति में इस प्रकार की जो अनियमितितायें हैं उन के सम्बन्ध में कुछ बताया जायेगा; देश के भीतर के तथा बाहर के व्यापार के कुछ खण्डों के सम्बन्ध में राज्य-संचालित व्यापार पर आधारित बहुत ही साहसपूर्ण तथा नवीनतम नीति का अनुसरण किया जायेगा और यथासंभव व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार की जिम्मेदारियों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जिस विधेयक का समर्थन करता हूं इस विधेयक का एक और गुण यह है कि यह विधेयक पहली बार जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू किया गया है ।

यह विधेयक अधिनियमन के पश्चात् १९६० तक चलेगा । मेरा सुझाव यह है कि इसे छः वर्ष के लिये लागू किया जाये जिस से कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चलता रहे ।

विरोधी पक्ष के दो सदस्यों ने श्री एन० सी० चटर्जी तथा श्री एस० एस० मोरे ने इस विधेयक की आलोचना की है परन्तु दोनों की युक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं । मेरे विचार से तो १९५२ से जब से कि वर्तमान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की नियुक्ति हुई है, न केवल भ्रष्टाचार कम करने का भरसक प्रयत्न किया गया है वरन् अनुज्ञप्तियों के लिये आवेदन-पत्र देने तथा अनुज्ञप्तियों के जारी होने के बीच की अवधि कम करने का भी भरसक प्रयत्न किया गया है । अनुज्ञप्तियों के जारी करने के काम का विकेन्द्रीकरण करने का भी प्रयत्न किया गया है ।

कहा जाता है कि ५०० करोड़ रुपये के आयात में से अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य १४ करोड़ रुपये है । जब हमारे पास विकास योजनाओं के लिये आवश्यक पूंजीगत वस्तुयें प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है तो हमें अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बिल्कुल ही बन्द कर देना चाहिये ।

हाल में चाय के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है कि निर्यात शुल्कों के नियमन के लिये खण्ड पद्धति सब से उपयुक्त है मैं इस से सहमत हूं और चाहता हूं कि काली मिर्च, मसालों इत्यादि के सम्बन्ध में भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाये ।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है उसे पूंजीगत वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाये

परन्तु निर्यात की अनुज्ञप्तियों को केवल प्रतिष्ठित व्यापार समवायों को ही दिये जाने के मैं विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी नीति इस सम्बन्ध में और भी उदार होनी चाहिये। केवल इसलिये कि नये लोग पुरानों की अपेक्षा इस व्यापार में दो तीन वर्ष बाद में आये हैं उन को हमेंशा कम महत्व वाले वर्ग में रखना उचित नहीं है। जितना ही हम नवागन्तुकों को महत्व देंगे उतनी ही हमारे देश की विषमतायें कम होंगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं। जैसे कि हम पहले खाद्यान्नों का आयात कर रहे थे उस के बाद उन पूंजीगत वस्तुओं का जो विकास के लिये आवश्यक हैं आयात कर रहे थे, उस के बाद अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का और उस के बाद अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात कर रहे थे, तो क्या इसी प्रकार रक्षा भंडारों के लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करने के हेतु कोई वर्गीकरण किया गया है। हमारे पास विदेशी विनिमय की इतनी कमी है कि प्रति दिन स्थिति चिन्ताजनक होती जाती है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम पौंड पावने का इतना अधिक उपयोग नहीं कर पायेंगे। इसलिये केवल असैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के ही सम्बन्ध में नहीं वरन रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं के विषय में भी इस का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाये जो बहुत ही आवश्यक हों।

श्री वी० पी० नायर : मुझे प्रसन्नता है कि देर में सही लेकिन कम से कम इस स्थिति में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री अपने कनिष्ठ सहयोगी के स्थान पर स्वयं इस वादविवाद में भाग लेने के लिये उपस्थित हुए हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री करमरकर ने कहा था कि वह रचनात्मक सुझावों का आदर करेंगे और इस सभा में होने वाले वादविवाद से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में ऐसा अनुभव करते हैं तो उन को अनेक रचनात्मक सुझाव दिये जायेंगे और यदि वह वास्तव में लाभ उठाना चाहेंगे तो इस आलोचना से उन को वास्तव में लाभ होगा। श्री करमरकर ने अपने भाषण में स्वयं बताया था कि वह पहले वकील रह चुके हैं। वैसा ही उन के भाषण से भी प्रकट होता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई वकील जिस ने दस बीस साल से वकालत छोड़ रखी हो, किसी नये मुक़दमे को ले कर खड़ा हुआ हो और पुरानी नज़ीरों के आधार पर ही बहस कर रहा हो।

इस विधेयक के सिद्धान्त से हम सहमत हैं किन्तु हमारी शिकायत यह है कि भारत के विदेशी व्यापार का नियंत्रण इस प्रकार नहीं किया जा रहा है जिस से कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ हो। हमें यह समझना चाहिये कि आयोजित अर्थव्यवस्था के लिये विदेशी व्यापार का नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। श्री करमरकर जिस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करने के लिये अथक परिश्रम कर रहे थे, वह कोई नियंत्रण नहीं है। अपने पक्ष के समर्थन में श्री करमरकर ने कुल ४६८९ करोड़ रुपये के आंकड़े बताये हैं। किन्तु ये आंकड़े निश्चय ही इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्या किया गया है।

विदेशी व्यापार के विषय में यह कहा गया है कि किसी हद तक सरकार का काम अव्यवस्थित है। मैं यह नहीं कहता कि सुधार के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। कुछ प्रयास अवश्य किया गया है। उदाहरणार्थ, उन देशों के साथ व्यापार-

[श्री वी० पी० नायर]

क़रार किये गये हैं जिन के साथ हमारा व्यापार बहुत थोड़ा था । किन्तु उन क़रारों के बावजूद व्यापार में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई है । हम ऐसे क़रारों का स्वागत करते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन को कार्यान्वित किया जाये । किन्तु विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति निर्धारण करने में सरकार के मूलभूत दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति के निर्धारण में देश के आर्थिक विकास का दृष्टिकोण सब से प्रमुख दृष्टिकोण होना चाहिये । यदि सरकार का यह कथन हो कि विदेशी व्यापार की नीति भलीभांति बनाई गई है और कार्यान्वित की गई है तो सरकार इस कथन की आंकड़ों से पुष्टि करे । परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । दूसरी ओर यदि विदेशी व्यापार का भलीभांति हिसाब लगाया गया है तो आज जो स्थिति हम देखते हैं वह क्या है ? क्या सरकार यह कह सकती है कि खाद्य-स्थिति में हुए सुधार के अनुरूप खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपभोग में कुछ वृद्धि हुई है ? उसी प्रकार आज कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ? आज हम यह देखते हैं कि देश में सामान्य औद्योगिक उत्पादन तथा औद्योगिक लाभ में वृद्धि होते हुए भी बेकारी ज्यामितिक समानुपात से बढ़ रही है । क्या यह स्थिर अर्थव्यवस्था है ? फिर कृषि क्षेत्र में भी बेकारी बढ़ रही है । कृषि उत्पादनों की कीमतें गिरती जा रही हैं । इन सब बातों पर नियंत्रण रखने के लिये विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिये । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है हम जानते हैं कि अभी हाल के वर्षों में हमारे निर्यात प्रमुखतः उन देशों के संकटों पर निर्भर होते रहे हैं जिन के साथ हम व्यापार करते हैं । यही बात अमेरिका को बड़े परिमाण में भेजी जाने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे मिर्च मैंगनीज़ अभ्रक आदि के मामले में दिखाई पड़ती है । मेरा कथन यह है कि यद्यपि सरकार निर्यात शुल्क का नियंत्रण करती है किन्तु वह कोई नियंत्रण ही नहीं है । इस सन्दर्भ में हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिये कि हमारा विदेशी व्यापार और आयात-निर्यात की नीति हमारी अर्थ-व्यवस्था को स्थिर बनाने में कहां तक सफल हुई है । सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि उपलब्ध विदेशी विनिमय का बहुत सावधानी से उपयोग किया जाय किन्तु हम यह देखते हैं कि वह विदेशी विनिमय देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये काम में नहीं लाया गया है ।

मुझे इस पर हर्ष है कि माननीय सदस्य श्री लिंगम् ने यह आक्षेप किया है कि हम करीब १४ करोड़ रुपये ऐशो आराम और विलास की वस्तुओं पर नष्ट कर रहे हैं । मैं सदन के उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के ऐसे सुझावों का स्वागत करता हूं । ये १४ करोड़ रुपये देश के लिये भारी मशीनों की खरीद के हेतु अवश्य ही बचाये जा सकते हैं । विदेशी विनिमय के संसाधनों का उपयोग करते समय हम हमेशा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि पूंजीमाल और आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये और तदनुसार पूर्ववर्तिता का क्रम भी निर्धारित किया गया है । वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त हुए आंकड़ों के अध्ययन से यह जानकर आप को आश्चर्य होगा कि १९५४ में भी भारत ने केवल ३८ करोड़ या ४० करोड़ पये की भारी मशीनें आयात की हैं । २८ नवम्बर १९५४ की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयात की वस्तुओं में बहुत परिवर्तन हुआ था । आयातित मशीनरी का मूल्य प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में स्थिर रहता है । श्री करमरकर के अनुसार

इस का कारण यह है कि अब भारत डीज़िल इंजिन, मोटरगाड़ियां, साइकिलें तथा अनेक अन्य वस्तुयें जो अब देश में बनाई जाती हैं, कम मात्रा में आयात करता है । इस का अर्थ यह है कि मशीनों के वर्गीकरण में साइकिलें जैसी मशीनें भी सम्मिलित हैं । ऐसी वस्तुओं को शामिल करने पर भी भारत का कुल आयात, जिसे आयोजित आयात कहा जाता है, ३८ या ४० करोड़ रुपये का है । १९५१-५२ के आंकड़ों से तुलना करने पर मुझे यह देख कर बड़ा खेद हुआ कि पूंजी माल या मशीनों के आयात का कुल मूल्य या तो स्थिर रहा है अथवा गिरता जा रहा है । ऐसी दशा में सरकार ने उदारीकरण की नीति की घोषणा की है जो ब्रिटिश नीति की एक नक़ल मात्र है । हम जानते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थ व्यवस्था से बिलकुल भिन्न है और ब्रिटेन में उदारीकरण की नीति इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि प्रशुल्क प्रतिबन्ध कम करने के लिये इस से अमेरिका पर ज़ोर दबाव डाला जाय । मुझे यह कहते खेद होता है कि उदारीकरण की नीति कुछ देशों को लाभदायक होते हुए भी केवल ब्रिटिश नीति की एक नकल मात्र है और जब तक हम राष्ट्रमंडल से सम्बद्ध हैं, हम क़रारों और आयात-अधिमानताओं से भी बाध्य हैं । उदाहरण के लिये सोडा ऐश को ही लीजिये । जापान अन्य देशों की अपेक्षा कम कीमत पर सोडा ऐश दे रहा था । जापान जैसे देशों में, जो दुनिया के बाजारों में अपना स्थान पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, निर्यात को राजकीय सहायता दिये जाने का कार्य-क्रम है और ऐसी दशाओं में उदारीकरण की यह नीति किसी काम की न होगी । मैं माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछता हूं कि उन सहायता प्राप्त निर्यात-वस्तुओं के बहुत अधिक मात्रा में भारत में न आने देने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है । यदि प्रशुल्क सम्बन्धी रोक लगा दी गई और उस के बाद भी देश में और अधिक माल पाट दिया गया तो इस पटान को रोकने के लिये प्रशुल्कों के और अधिक बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ? प्रशुल्क का बढ़ाना एक संविहित आवश्यकता होने के कारण उस में कुछ समय लगेगा और उस के पूर्व ही भारत में ऐसे माल की बाढ़ आ जायगी । ये ऐसे गंभीर खतरे हैं जिन से कोई बचाव नहीं किया गया है ।

मेरे विचार से परिमाणिक निर्बन्धन को हटा देना एक आयोजित अर्थव्यवस्था से बिलकुल असंगत है क्योंकि आयोजित अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों को अच्छी तरह से निर्धारित पूर्ववर्तिताओं के क्रमानुसार वितरित करने की आवश्यकता प्रमुख होती है । यदि आप उन निर्बन्धनों को हटा दें तो उस से आप विदेशियों को यहां अपना माल पाट देने के लिये दरवाज़े खोल देंगे । यदि सरकार का यह कथन हो कि परिमाणिक निर्बन्धन से व्यापार में सहायता मिलती है और कृत्रिम अभाव उत्पन्न होने के कारण अधिक लाभ होता है तो मैं यह कहूंगा कि सरकार ग़लत रास्ते पर है । कृत्रिम अभाव को रोकने के प्रत्येक साधन सरकार के हाथ में है । वह माल की कीमतों पर नियंत्रण कर के उचित वितरण कर सकती है और अपराधियों को कठोर दंड दे सकती है ।

अब मैं नीति के दूसरे पहलू अर्थात् अनुज्ञापन की वर्तमान पद्धति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह पद्धति ऐसी है कि कुछ अनुज्ञप्ति-धारक अपनी अनुज्ञप्तियां का उपयोग हानिकारक उपायों के लिये करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां उन का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है । मुझे ज्ञात हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में

[श्री वी० पी० नायर]

दो तीन ऐसे मामले विचाराधीन हैं और इसलिये अभी मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं ।

साम्राज्यीय अधिमान के सम्बन्ध में मुझे स्मरण है कि प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान में माननीय श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि भारत ने ब्रिटिश माल के लिये केवल ५० या ५५ करोड़ रुपये तक का अधिमान दिया था, जबकि ब्रिटेन से उसे २०५ करोड़ रुपये तक का अधिमान प्राप्त हुआ था । इस का सीधा सादा अर्थ यह है कि हम ने आयातित वस्तुओं के बहुत कम परिमाणों को अधिमान दिया है जबकि दूसरी ओर इस अधिमान के उपयोग से हमें वस्तुओं के एक बहुत बड़े परिमाण पर छूट मिली है । यह बिलकुल ग़लत है । बाद में श्री कृष्णमाचारी ने स्वतः उस वक्तव्य को दोषपूर्ण बताया था । उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को बताना सार्वजनिक हित की दृष्टि से संभव नहीं था । यदि भारत को ब्रिटेन से उसे निर्यात किये गये २०५ करोड़ रुपये के माल पर छूट मिलती है, तो इस में कौन सा सार्वजनिक हित निहित है ? हम यह जानना चाहते हैं कि इस अधिमान के कारण किस माल पर हमें ब्रिटेन से छूट प्राप्त होती है और किस माल को देने के लिये हमें बाध्य किया जाता है । हम उन विशिष्ट वस्तुओं को जानना चाहते हैं जिन के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने हमें छूट दी है और जिस छूट के कारण भारत और ब्रिटेन के व्यापार में वृद्धि हुई है । मैं आशा करता हूं कि श्री करमरकर इस विषय पर प्रकाश डालेंगे ।

अब प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के बारे में मेरा यह कथन है कि जो देश इस समझौते से सम्बद्ध हैं, उन की अर्थ व्यवस्थायें एक दूसरे से भिन्न हैं । इन भिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं के दोषों को एक ही क़रार या समझौते से दूर नहीं किये जा सकते हैं । इस के बजाय यदि माननीय वाणिज्य मंत्री ने अन्य देशों के साथ वस्तु समझौते किये होते, तो मैं ने उन का स्वागत किया होता ।

अब मेरे ठोस सुझाव ये हैं कि सरकार प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार से अलग हो जाय । सरकार सभी प्रकार के साम्राज्यीय अधिमानों को समाप्त कर दें और वह सभी देशों के साथ वस्तु समझौते कर ले । विदेशी व्यापार के मामले में राज्य अधिक भाग ले जिस से कि मुनाफ़ाख़ोरी और चोरबाज़ारी के तरीकों पर नियंत्रण किया जा सके । ऐंग्लो अमेरिकी साम्राज्यवाद से सम्बन्धित कुछ दलों ने हमारे क्रेताओं के एक महत्वपूर्ण भाग के प्रति कुछ झूठे प्रचार किये हैं । मेरा निर्देश श्री वालचन्द हीराचन्द और श्री कस्तूरभाई लालभाई के वक्तव्यों से है जो विदेशी एकाधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं । आप को विदित होगा कि सोडा ऐश के बारे में एक विवाद है । मेरे पास दो अधिसूचनायें हैं । एक १९५० में माल संभरण अधिनियम के अधीन और दूसरी १९५४ में निकाली गई थीं । १४ फ़रवरी, १९५४ को सरकार ने कहा था कि माल बिक्री अधिनियम समाप्त हो गया था और अब सोडा ऐश पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा । किन्तु श्री करमरकर जानते हैं कि उस के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य है । सोडा ऐश की अनुज्ञापन अवधि में अर्थात् जुलाई-दिसम्बर १९५३ में केवल एक समवाय को तदर्थ अनुज्ञप्ति दी गई थी । मेरा सरकार पर यह आरोप है कि यह विशिष्ट वस्तु, जिस के लिये पहली बार तदर्थ अनुज्ञप्ति दी गई है, इसलिये आयात की गई

थी कि उसे किसी मूल्य भी पर बेचने की स्वतंत्रता दे दी जाय ; यद्यपि अत्यावश्यक प्रदाय अधिनियम के अधीन सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती थी किन्तु सरकार ने उस पर नियंत्रण करने की चिन्ता नहीं की । सभा में इस प्रश्न पर हुई चर्चा में श्री करमरकर ने एक गलत धारणा पैदा करने का प्रयत्न किया था । १९५० से सोडा ऐश के मूल्य का नियंत्रण किया गया है जिस से मुनाफाखोरी का अब कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि सोडा ऐश के इतिहास में पहले कभी सरकार ने १२½ प्रतिशत कमीशन नहीं दिया है । सरकार द्वारा अधिकतम निर्धारण कमीशन केवल १० प्रतिशत ही रहा है । मैं श्री करमरकर से पूछता हूं कि क्या ऐसी बात नहीं है ?

श्री करमरकर : मैं इस का उत्तर बाद में दूंगा ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । यह विधेयक आयात-निर्यात के नियंत्रण के लिये सरकार की शक्तियों को विस्तृत करने के लिये रखा गया है । मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से पूर्णतया सहमत हूं और वर्तमान स्थिति में ये शक्तियां सरकार के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । अब वास्तव में प्रश्न यह है कि आयात-निर्यात नियंत्रण नीति किस प्रकार क्रियाशील रही है । नियंत्रण पद्धति की भावी क्रियाशीलता के बारे में विभिन्न सदस्यों ने कुछ सुझाव रखे हैं । माननीय मंत्री ने बताया था कि सरकार उस समिति की सिफारिशों के अनुसार काम करती रही है । फिर मतभेद उत्पन्न हुए और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री का आशय जो कुछ उन्हों ने कहा था उस से भिन्न था ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

श्री करमरकर : मेरे मित्र ने उसे बहुत गंभीरता से लिया है । जब उन्होंने कुछ गलतियों की ओर संकेत किया तो मैं ने कहा था कि समिति की कतिपय सिफारिशों के सम्बन्ध में उन गलतियों के लिये अंशतः मैं ही जिम्मेदार था और उन्होंने भी मेरी गलतियों को स्वीकार किया । अतः वह इस पर बहुत गंभीरता से विचार न करें ।

श्री तुलसीदास : मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री ने यह कई बार कहा था कि इस समिति ने बहुत उपयोगी सिफारिशें की हैं और आयात नियंत्रण में आज दिखाई पड़ने वाला सुधार उग्र समिति की सिफारिशों के कारण ही हुआ है । माननीय मन्त्री जानत कि अनेक कारणों से आयात-निर्यात नियंत्रण उस प्रकार क्रियाशील नहीं रहा जैसा कि उसे होना चाहिये था । किन्तु मैं जानता हूं कि १९५३ से नीति अधिक स्थिर रही और हम ने अनेक शिकायतों को दूर किया है । यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आयात-नीति के सम्बन्ध में सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि सर्वप्रथम वर्तमान उद्योगों के लिये अपेक्षित कच्चे माल का नियंत्रण किया जाना चाहिये । हमारे देश में भुगतान-सन्तुलन की कठिनाई के कारण हमारे पास विदेशी विनिमय की बहुत सीमित राशि रह गई है । अतः हमें आयातित वस्तुओं पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है । अतः इस समिति ने कुछ निश्चित सिफारिशें की हैं कि आयातित विभिन्न वस्तुओं की पूर्ववर्तिता का किस प्रकार अनुसरण किया जाय । मुझे विश्वास है कि यह नीति अधिकतर समिति की सिफारिशों के अनुसार ही रही है ।

जो नीति यहां पर अपनाई जा रही है उस से कुछ मामलों में कठिनाइयां उपस्थित

[श्री तुलसीदास]

हो गई हैं । आयात के विषय में एकाधिकार देने की नीति से मध्यम वर्ग के लोगों के व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा है । संभवतः सरकार भी जानती है कि एक विदेशी फर्म को वितरण कार्य सौंपने के कारण सोडा भस्म और कास्टिक सोडा का मूल्य अधिक बढ़ गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस कार्य को करने वाले जो मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग हैं उन को हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना पड़ेगा ।

यही बात चीनी आयात के विषय में कही जा सकती है । चीनी के आयात का इतिहास सर्वविदित है । सरकार इस के लिये आयातकर्ताओं को अनुज्ञप्तियां देती थी किन्तु मेरा यह निवेदन है कि ५० करोड़ रुपये या उस से अधिक मूल्य के आयात की वस्तुओं के सम्बन्ध में यह नीति नहीं अपनाई जानी चाहिये और आयात की अनुमति केवल कुछ फर्मों को ही नहीं दी जानी चाहिये । मुझे आशा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस विषय पर अवश्य ध्यान देगा ।

एक फर्म के विषय में मैं ने पिछली बार भी कहा था कि उसे मूंगफली की खली निर्यात करने तथा उस के बदले अमोनियम सल्फ़ेट आयात करने का एकाधिकार दे दिया गया था जिस का यह परिणाम हुआ कि उस ने मूंगफली की खली को बहुत सस्ती दर पर ख़रीदना प्रारम्भ कर दिया और उस का एकाधिकार हो जाने के कारण अन्य व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी और उन का व्यापार प्रायः ठप्प हो गया ।

अतएव सरकार जब कभी आयात-निर्यात नीति पर विचार करे उसे इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि चाहे उसे आयात का एकाधिकार देने से थोड़ा बहुत लाभ भले ही हो जाय किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये कि मध्यम वर्ग तथा अन्य व्यापारी वर्ग का सब काम चौपट हो जाय ।

अन्त में मुझे इतना और कहना है कि अनुज्ञप्तियों के लिये जो शुल्क लिया जाय वह अधिक न हो क्योंकि आवेदकों की संख्या हजारों में होती है और ऐसा नहीं होना चाहिये कि यह शुल्क उन के लिये भार-स्वरूप सिद्ध हो ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : मैं इस विधेयक के लिये वाणिज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं । प्रारम्भ में इस आयात-नियंत्रण अधिनियम को इस प्रकार बनाया गया था कि इस से केवल बड़ी बड़ी फर्मों को ही लाभ पहुंचता था और वह अधिकतर विदेशी थीं । उन्होंने समस्त आयात-निर्यात का एकाधिकार सा प्राप्त कर रखा था । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने अब अपनी नीति बदल दी है । फिर भी जैसा कि मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने कहा है अभी व्यवहार में वही पुरानी नीति ही चल रही है ।

आयात-निर्यात नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि उस से हमारे निजी उद्योग शिथिल न हो जायें । उदाहरण के लिये कृत्रिम रेशम के आयात को लीजिये । इस का आयात इतना बढ़ गया है कि देशी उद्योग ठप्प हो गया है और बाजार में असली रेशम मिलना मुश्किल हो गया है । भागलपुर का रेशम का उद्योग बन्द सा हो गया है । वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि उन को एक थान भागलपुरी रेशम का भेंट कर दिया जाय तो वे उस उद्योग की अवश्य रक्षा करेंगे ।

श्री करमरकर : मैं ने यह नहीं कहा था कि उसे भेंट में दिया जाय । आप उचित मूल्य पर ले आयें तो मैं ख़रीद सकता हूं ।

श्री झुनझुनवाला : मेरा अभिप्राय यह है कि आप की नीति के परिणामस्वरूप उद्योग चौपट होता जा रहा है । असली रेशम उद्योग प्रायः समाप्त हो गया है । और ऐसा केवल सरकार की आयात नीति के कारण ही हुआ है । मैं ने १९५० में ही कहा था कि हमारे यहां से जानवरों की इतनी खालें निर्यात की जा रही हैं कि कृषि और पशु-धन पर इस का बहत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । हमारी गायों और बछड़ों की हत्या की जा रही है ।

सरकार दुग्ध चूर्ण का पहले ही से आयात कर रही है और अब वह घी आयात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । इस से बढ़ कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में घी भी बाहर से आये ।

सरकार को ऐसी वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जिन के बिना देश में भली भांति काम चल सकता है । हमारे यहां पहले ही चौदह पन्द्रह करोड़ रुपये की शृंगार की वस्तुयें प्रति वर्ष आयात की जाती हैं । ऐसी वस्तुयें आयात नहीं की जानी चाहियें जो यहां बनाई जाती हैं । हमें अपने देश के उद्योग का विकास करने की आवश्यकता है । देश में यदि कोई वस्तु बनती भी है तो विदेशी फर्में उस से उत्तम वस्तुयें बाज़ार में प्रस्तुत कर के हमारे उद्योगों को बन्द कर देती हैं । सरकार को चाहिये कि निर्यात कम किया जाय और यह बहाना न बनाया जाय कि यह तो ग्राहक की पसन्द पर निर्भर है कि वह देशी वस्तु पसन्द करे या विदेशी । लोगों में देश-प्रेम की भावना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि भागलपुर रेशम-उद्योग की दशा देखने के लिये एक बार वह वहां अवश्य आवें । तब उन्हें ज्ञात होगा कि बाहर के नकली रेशम से घर का असली रेशम कितना अच्छा होता है ।

श्री बंसल : इस अधिनियम की अवधि समय समय पर बढ़ा दी जाती है किन्तु मैं समझता हूं अब आयात-निर्यात पर इस प्रकार के प्रतिबन्धों की आवश्यकता नहीं है । पहले तो युद्ध काल के कारण इस की ज़रूरत थी । उस के बाद देश की आर्थिक दशा बिगड़ी हुई थी किन्तु अब वह स्थिति नहीं रही है । अतः अब हमें समस्त स्थिति का पुनरीक्षण करना आवश्यक है ।

इतना अवश्य है कि हमारे देश में विकास योजनायें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं और इन की ज़रूरत को पूरा करने के लिये बहुत धन लगाना पड़ता है और माल की खपत भी काफ़ी होती है । इस दृष्टि से वस्तुओं के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध रखना उचित जान पड़ता है । आयात के सम्बन्ध में हमारे लिये यह भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि देश के औद्योगिक विकास पर किसी प्रकार का आघात न पहुंचे ।

मुझे यह है कि आयात व्यापार जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनेक सुझाव दिये हैं और सरकार उन में से कुछ बातें व्यवहार में लाई भी है किन्तु जो बातें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं उन की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । हमारी नौवहन सेवाओं के विकास की आवश्यकता है ।

नौवहन के सम्बन्ध में मैं जहाज़ी किरायों का भी उल्लेख करना चाहता हूं । यह ठीक है कि जापान अथवा ब्रिटेन की अपेक्षा हमारे देश ने नौवहन कार्य देर से प्रारम्भ किया है । किन्तु अब विभिन्न जहाज़ी कम्पनियों को चाहिये कि वे हमारी निर्यात वस्तुओं पर भाड़े की दर को घटायें । उदाहरण

[श्री बंसल]

के लिये इंजीनियरिंग के सामान पर जापान से बोस्टन तक १० डालर प्रति टन भाड़ा लिया जाता है जबकि कलकत्ते से बोस्टन के लिये उसी वस्तु पर ५० डालर प्रति टन लिया जाता है जो बहुत अधिक है ।

भारतीय माल के साथ विदेशों की जहाज़ी कम्पनियों को इस प्रकार का भेद-भाव नहीं करना चाहिये । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार निर्यात विस्तार परिषदें बना रही है । एक दो परिषदें तो बन भी चुकी हैं । सरकार ने कुछ वस्तुओं के निर्यात-कर में रियायत की है । उन वस्तुओं में कुछ ये हैं :—कसीदेकारी का काम, नकली रेशम, सूती वस्त्र, मोटरे रेडियो, साइकिलें, सिगरेटें, बिजली के पंखे इत्यादि ।

किन्तु आश्चर्य इस बात का है कि रियायत दिये जाने के बाद भी आमदनी में वृद्धि नहीं हुई है और लोगों ने इस रियायत से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया है । कहीं इस का यह कारण तो नहीं है कि इस रियायत के लिये लिखा पढ़ी करने में ही महीनों लग जाते हों और इस कारण लोग इस से लाभ उठाना न चाहते हों ।

मेरे मित्र श्री नायर ने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये थे । उन्होंने कहा था कि भारत को व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार से पृथक् हो जाना चाहिये । मेरा भी यही विचार रहा है कि भारत यदि इस क़रार का पक्ष न रहे तो इस से उस की भलाई ही होगी । परन्तु इस में दो बार भाग लेने के उपरान्त मैं यह कह सकता हूं कि यदि भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ मांगें व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर ली जायें तो भारत को इस के सम्बन्ध विच्छेद करने के कोई कारण नहीं होने चाहियें । हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिस चीज़ के परित्राण का प्रयत्न किया गया था वह यह थी कि विकासी प्रशुल्कों की अनुमति दी जाये, तथा उन देशों के द्वारा, जिन्होंने आर्थिक विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चालू किये हुए हैं, विकासी मात्रात्मक नियंत्रणों के काम में लाये जाने की अनुमति दी जाये । यदि यह दो मांगें व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार संगठन तथा अन्य सदस्य देशों द्वारा स्वीकार कर ली जायें तो इस से भारत को लाभ ही पहुंचेगा । माननीय मंत्री ने अभी बताया कि हमारे निर्यातों का ५० प्रतिशत भाग निर्मित वस्तुयें होता है । अतः अन्य देशों द्वारा विभेदात्मक प्रशुल्कों तथा अभ्यंशों के लागू किये जाने की अवस्था में यदि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं होगा तो मेरे विचार से हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कोई परित्राण नहीं मिलेगा ।

मेरे मित्र श्री तुलसीदास ने मूंगफली की खली का निर्देश किया था । मूंगफली की खली के निर्यात किये जाने की अनुमति दिये जाने की अत्यधिक आलोचना की गई है । परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि विदेशी आयातक इस वस्तु का इतना अधिक मूल्य किस प्रकार दे रहे हैं । ऐसा मालूम होता है कि वह उसे किसी अन्य वैज्ञानिक कार्य के लिये काम में ला रहे हैं । वह कार्य क्या है, इस का मैं पता नहीं लगा सका हूं । मूंगफली की खली एक बहुत उत्तम खाद है, परन्तु खाद के लिये तो कोई इतने पैसे दे नहीं सकता है ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने बताया कि इस से बिस्कुट बनाये जा सकते हैं ।

श्री बंसल : यह तो मुझे मालूम नहीं । मेरे विचार से जो देश इस का अधिकाधिक

आयात कर रहे हैं वह बिस्कुट बनाने वाले देश नहीं हैं । अतः इस चीज़ का उन देशों में कोई अन्य उपयोग किया जाता है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस बात का पता लगायें कि उन देशों में मंगफली की खली किस काम में लाई जा रही है ।

श्री हेडा (निजामाबाद) : सभापति महोदय,—

कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बोलिये ।

श्री हेडा : बहुत अच्छा ।

श्री करमरकर : एक स्पीच तो हिन्दी में होने दीजिये ।

श्री हेडा : जहां तक आयात निर्यात के ऊपर नियंत्रण का सवाल है, इस सदन के अन्दर दो रायें इस बारे में हैं, यह ज़ाहिर नहीं होता । हर एक सदस्य इस चीज़ को मान रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी निर्यात और आयात है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये । लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से यह नियंत्रण हो रहा है वह ठीक है या नहीं । इस वक्त भी यह बहस छिड़ी हुई है । मैं भी दो चार बातों के सम्बन्ध में अपने खयालात ज़ाहिर करना चाहता हूं ।

एक सवाल जो उठाया गया वह यह था कि जो व्यापार होता है वह राज्य की ओर से हो, स्टेट ट्रेडिंग हो । जब श्री कृश्णमाचारी ने इन विभागों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था उस समय मैं ने उन को एक पत्र के साथ एक योजना भेजी थी और उस में यह इच्छा प्रकट की थी कि अब समय आ गया है जबकि हमारी सरकार खास कर आयात और निर्यात और दूसरी व्यापारिक चीजों को अपने हाथ में ले सकती है और राज्य के नियंत्रण में इन कामों को कर सकती है । मैं ने उन को जो मिसालें दी थीं उन में खास तौर पर जो तेल निकालने का व्यापार है अर्थात् आयल क्रशिंग और रूई का व्यापार अर्थात् जिनिंग ऐंड प्रोसेसिंग आफ काटन, इन पर बहुत विस्तार के साथ लिखा था । उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि वह इस सम्बन्ध में गौर कर रहे हैं, लेकिन उस के बाद मुझे उन का कोई उत्तर नहीं मिला । जहां तक मेरी सूचना है, मैं कह सकता हूं कि इस ओर हमारी हुकूमत को जिस प्रकार से गौर करना चाहिये या सोचना चाहिये, उस तरह वह नहीं कर रही है । मैं समझता हूं कि इस में जो सब से बड़ा रोड़ा है वह यह है कि हमारे पास इस बात की व्यवस्था नहीं है कि सरकार औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों को सफलता के साथ अपने हाथों में ले सके । १९४८ का जो औद्योगिक प्रस्ताव हमारा था उस के अन्दर यह इच्छा जाहिर की गई थी कि इंडियन एकानमिक सर्विस शुरू की जाये, लेकिन मुझे खेद है कि यह सर्विस अब तक शुरू नहीं हुई, और इस कारण से जिस प्रकार का परसोनेल हमें मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है । और शायद हुकूमत अपने अन्दर यह विश्वास नहीं पाती है कि वह अपनी व्यापारिक जिम्मेदारियों को दृढ़ता और स्वतंत्रता के साथ अदा कर ले जायेगी ।

आयात और निर्यात के सम्बन्ध में जो नीति रही है उस के सम्बन्ध में जो दूसरा प्वाइंट है वह यह है कि इस मामले में कितनी घूसखोरी चलती है, कितना करप्शन चलता है । इस की काफी चर्चा भी हुई । मेरा खयाल है कि चार पांच वर्षों के पहले जो परिस्थिति थी वह आज नहीं है । एक दिन था जब यह लाइसेंसेज़, चाहे वह इम्पोर्ट के हों या एक्सपोर्ट के हों, खुले बाजार बिका करते थे और

[श्री हेडा]

एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते थे, और ऐसे व्यक्तियों के जरिये से यह लाइसेन्सेज़ सामने आते थे जिन का व्यापार से कोई संबंध नहीं होता था। आज वह परिस्थिति नहीं रही है। यह तो सत्य है कि घूसखोरी काफी कम हुई है लेकिन फिर भी यह कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि इस का समूल उन्मूलन हो गया है। मेरे खयाल में ऐसा कहना सही नहीं होगा। कोई भी हकूमत हो, यहां तक कि मौजूदा सरकार भी, मैं समझता हूं, इतनी सम्पूर्ण नहीं हो सकती है कि उस की ओर से गलती न हो या उस के प्रबन्ध में कहीं कोई खामी न रहने पाये। अतः इस मामले में भी काफी सुधार की गुंजाइश है।

एक और सवाल जो उठा था वह यह कि हमारी इम्पोर्ट पालिसी क्या हो। क्या कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही सारे के सारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स देने चाहियें ऐसी नीति हम कायम करें या यह कि जितने अधिक हाथों में ये व्यापार जा सकते हैं उन में जायें और इस प्रकार व्यापार का प्रसार हो। इस सम्बन्ध में भी काफी चर्चा रही। मुझे खुशी है कि मौजूदा मिनिस्ट्री ने इस बात की सफल कोशिश की है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जितने ज्यादा हाथों में जा सकती है उतने हाथों में जाये। इस मामले में एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है और वह यह है कि हम आज भी कुछ लोगों को ओयल किंग, काटन किंग, गोल्ड किंग या सिल्वर किंग के नामों से पुकारा जाता सुनते हैं। राजे महाराजे तो चले गये लेकिन इस प्रकार के राजे महाराजे आज भी हम सुनते हैं और देखते हैं। यह बात आश्चर्य की बात है। इस में कोई शक नहीं कि जो नीति स्वीकार की गई है उस नीति के परिणामस्वरूप कुछ तो लाभ हुआ है लेकिन बहुत लाभ हुआ है या हम उस में काफी सफलता मिली है ऐसा समझने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। जब तक यह राजे मौजूद हैं तब तक १० प्रतिशत भी सफलता हमें मिली है ऐसा हमें समझना नहीं चाहिये। इस सम्बन्ध में मौजूदा मिनिस्टर से और विशेष कर दोनों मिनिस्टरों से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो पालिसी बनाई है और जिस की झलक भी हमें दी है उस को वे लौजिकल कनकल्यूजन तक ले जायें और उस को सफल बनाने की हर मुम्किन कोशिश करें।

श्री करमरकर : न्यू कमर्ज़ के बारे में ?

श्री हेडा : न्यू कमर्ज़ को आप लाइसेन्स दे रहे हैं इस की वजह से थोड़ा बहुत फायदा हुआ है लेकिन वह फायदा इस कदर नहीं हुआ है कि हम कह सकें कि जो मौनोपोलिस्ट थे वह खत्म हो गये हैं या उन का उन्मूलन हो गया है। अभी भी काफी फर्क है। इस लिहाज़ से काफी काम करने की गुंजाइश है।

कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन को कि हम इम्पोर्ट करते हैं और चूंकि हमारे पास डालर या स्टर्लिंग बैलेंस कम है इस वास्ते हम उन का इम्पोर्ट बहुत कम मात्रा में करते हैं। चूंकि उन चीजों की मांग ज्यादा होती है इस का नतीजा यह होता है कि नफे की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं कि जिन पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी देने के बाद भी वे बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती हैं। आप एयर कंडीशनर्ज़ की ही बात ले लीजिये। मैं समझता हूं कि एक एयर कंडिशनर की कीमत १२०० या १३०० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, लेकिन बाज़ार में यह २५०० या ३००० का बिकता है। इस का बड़ा कारण यह है कि मांग ज्यादा होती है और चीज़ कम आ पाती

है या गवर्नमेंट कम लाने की इजाजत देती है । मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ज्यादा इम्पोर्ट करने की इजाजत दे क्योंकि सब से बड़ी कन्सीडरेशन जो होती है वह ट्रेड बैलेंसिस की हो सकती है । लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि इस प्रकार कि जो इम्पोर्ट होती है उस पर हुकूमत का नियंत्रण होना चाहिये । बेहतर तो यह है कि हुकूमत के ज़रिये ही यह चीजें आयें लेकिन अगर हुकूमत ऐसा अपने आप नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसे इदारे के जरिये करवाये जिस के ऊपर उस का पूरा पूरा नियंत्रण हो और व्यापारी एक निश्चित मात्रा से अधिक नफा न लें जो ५ प्रतिशत और साढ़ बारह प्रतिशत के दरम्यान हो, इस से ज्यादा न हो । इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिये । जो नई नीति इम्पोर्ट के बारे में अख्तियार की गई थी इन ६ महीनों के लिये, उस में भी इस प्रकार का एक संकेत सा था । संकेत के ऊपर कितना अमल हो रहा है या जो नफा होता है उस के ऊपर कहां तक कंट्रोल कर पाये हैं और क्या परिणाम निकल रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं ने एक प्रश्न किया है जिस के जवाब में मुझे डर है कि यह कहा जायगा कि अभी सरकार इस को देख रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस को ठीक तौर पर देखेगी और इस प्रकार का कोई काम करेगी कि नफ़ा मनमाना न हो

एक आखिरी चीज़ कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और वह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बाहर के कुछ राष्ट्र हमारे साथ कम्पिटीशन में आ जाते हैं और उस प्रतिस्पर्द्धा के अन्दर हमारे राष्ट्र को ठीक मौका मिलता है या नहीं मिलता है यह देखने के वास्ते एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी में समय समय पर कुछ रद्दोबदल होना चाहिये । होना तो यह चाहिये कि हुकूमत और व्यापारी आपस में सहयोग की भावना से काम करें, लेकिन होता यह है कि जब कभी हुकूमत भोली दिखाई देती है तो व्यापारी उस का अनुचित लाभ उठाते हैं और यदि व्यापारियों के ऊपर अविश्वास रखा जाता है तो हुकूमत एक ऐसी नीति निर्धारित कर देती है जिस की वजह से सब व्यापार एक प्रकार से बन्द हो जाता है और राष्ट्र की हानि होती है । इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि सख्त कानून बनाने के बजाय इस प्रकार की व्यापारिक चीज़ों के अन्दर हुकूमत खुद दिलचस्पी ले और देखे कि व्यापार किस प्रकार हो रहा है और किस प्रकार नहीं हो रहा है और इस प्रकार दिनोंदिन आपस में विचार विनिमय और बातचीत के ज़रिये से अपनी पालिसी को सफलता के साथ लागू करने की कोशिश करे । इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी : श्री झुनझुनवाला ने जो आलोचना की है वह व्यर्थ है क्योंकि माननीय मंत्री युवा समाज को नक़ली रेशम आदि खरीदने से नहीं रोक सकते हैं । साथ ही उन्हें इस का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे मंत्री महोदय भी युवक से प्रतीत होते हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़–पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम) : इस विधेयक का आयु से क्या सम्बन्ध है ?

श्री आर० के० चौधरी : यदि मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला प्रति दिन पानी के स्थान पर दूध पीते हैं तो यदि मंत्री महोदय अन्य व्यक्तियों के लिये दुग्ध चूर्ण का आयात करते हैं तो क्या आपत्ति है । यदि मेरे मित्र देश में अधिक दूध चाहते हैं तो यह काम

[श्री० आर० के० चौधरी]

खाद्य तथा कृषि मंत्री का है । अनुज्ञप्ति देते समय माननीय मंत्री को इस देश की जनता की इच्छा को पूरा करना होता है ।

आज भारत में कहीं भी जाइये, आप को घी की कमी मिलेगी तथा हमें ज्ञात है कि पूर्वी पाकिस्तान में घी उपलब्ध है तो उस के आयात की अनुमति क्यों न दी जाये ।

जहां तक रेशम के उत्पादन का सम्बन्ध है श्री झुनझुनवाला और मेरे क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन होता है तथा यह रेशम बहुत टिकाऊ भी होता है परन्तु इस का प्रचार इस कारण से नहीं हो पाता है क्योंकि आज कल के रेशम पहनने वालों को नवीन प्रकार के आकर्षक नमूनों का रेशम चाहिये तथा टिकाऊ रेशम एक ही नमूने का होगा और जल्दी फटेगा नहीं । इसलिये नक़ली सिल्क का उत्पादन बन्द होना चाहिये ।

अब मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहता हूं । अधिनियम की धारा २ के उप खंड (घ) में दिया है कि 'भारत में, जम्मू तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं हैं ।' परन्तु अब तो शब्द "भारत" में जम्मू तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी विधियों के लागू करने के लिये जम्मू और काश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया है और इस विधेयक में यह वाक्य कि 'जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर' हटा दिया गया है ।

दूसरे, जहां तक मुझे ज्ञात है सभी भारतीय विधियों में तथा विशेषतया भारतीय दण्ड संहिता की धारा ५११ के अधीन आने वाले अपराध के लिये जितना दण्ड यहां निर्धारित है उस का आधा ही दण्ड वही अपराध करने का प्रयत्न करने के लिये वहां पर निर्धारित है । परन्तु इस विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तथा जितना दण्ड अपराध करने के लिये निर्धारित है उतना ही दण्ड अपराध करने का प्रयत्न करने के लिये भी है । आशा है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा माननीय मंत्री से सहमत हूं कि जब तक भारत, अमरीका आदि देशों के स्तर पर नहीं पहुंच जाता है तब तक हम प्रत्येक वस्तु को खुली प्रतियोगिता के लिये नहीं रख सकते हैं । अनाज की कमी के कारण हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा था परन्तु अब स्थिति सुधर गई है तथा अपने उद्योगों के विकास के हेतु हमें अपने आयात तथा निर्यात व्यापार पर दर नियंत्रण करना आवश्यक है ।

दक्षिण भारत के कृषकों के लाभार्थ सरकार ने टैपिओका के निर्यात की अनुमति दे दी है परन्तु जैसाकि मुझे ज्ञात हुआ है यह व्यापार एक अथवा दो व्यक्तियों का प्रायः एकाधिकार सा बन गया है । वे सस्ते मूल्य पर टैपिओका खरीदते हैं तथा उस से मैदा बनाते हैं । कृषकों को इस से कोई लाभ नहीं हो रहा है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह राज्य सरकार के परामर्श से यह व्यवस्था करे कि राज्य सरकार कृषकों से टैपिओका खरीद कर माड़ी (स्टार्च) बनाये तथा इस प्रकार इस को व्यापारिक अनाज का रूप दें ।

मैं ने २२ फरवरी को भारत के नारियल उत्पादन के सम्बन्ध में प्रश्न किया था जिस के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि देश की नारियल के तेल की लगभग ८५ प्रतिशत खपत देश में उत्पन्न नारियल से पूरी हो जाती है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार

भारत का स्थान नारियल उत्पादन में दूसरा है । नारियल का उत्पादन, १५.४ लाख एकड़ भूमि में होता है और ३४० करोड़ फल उत्पन्न होता है । इस का अधिकतर भाग मेरे राज्य में उत्पन्न होता है । लगभग ३० प्रतिशत व्यक्ति, कृषक तथा श्रमिक, इस पर निर्भर रहते हैं । इसलिये हमें नारियल की गिरी का मूल्य निर्धारित करना चाहिये । मुझे ज्ञात हुआ है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी हो रही है, परन्तु निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में कोई कमी नहीं हो रही है । कपड़े, चीनी आदि के मूल्य बढ़ रहे हैं ।

नारियल की गिरी की आयात सम्बन्धी नीति भी पूर्ण विनियमित होनी चाहिये । गिरी का अधिकांश निर्यात श्रीलंका से होता है तथा वहां प्रति कंडी का मूल्य १५० रुपये है । भारत के मूल्य के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार इस मामले की उपेक्षा कर रही है परन्तु यहां मूल्य गिर रहे हैं । इस का एक कारण हमारी आयात नीति हो सकती है । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि १९५३ में २६,६५५ टन तथा १९५४ में ६२,१२५ टन नारियल की गिरी का आयात किया गया था । १९५३ में २६,००६ टन तथा १९५४ में २३,३२४ टन नारियल के तेल का आयात किया गया था । इस प्रकार १९५४ में लगभग १ लाख टन नारियल की गिरी का आयात हुआ । हमारी आवश्यकतायें कितनी हैं ? कहा जाता है कि हमारी कुल आवश्यकता का ७५ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन से पूरा हो जाता है शेष २५ प्रतिशत रहता जो कि अनुमानतः ५०,००० टन होता है । नारियल समिति ने भी इतनी ही मात्रा के आयात किये जाने की सिफारिश की थी परन्तु पिछले वर्ष एक लाख टन का आयात किया गया तथा इसी का यहां के मूल्य पर प्रभाव पड़ा है । जनवरी १९५४ में इस के मूल्य ३९५ रुपये ७ आने थे, जनवरी १९५५ में ३१६ रुपये १४ आने तथा मार्च १९५५ में २७५ रुपये हैं । इस प्रकार मूल्यों में २५ प्रतिशत कमी हो गई है । इसलिये मेरा विचार है कि जब तक मूल्य निर्धारित नहीं किये जायेंगे तथा पूर्ण विनियमित आयात नीति निर्धारित नहीं की जायेगी तब तक हम इस नीति को उचित नीति नहीं कह सकते । हमें प्रशुल्क की दर को भी ७५ से १०० प्रति हंडरवेट बढ़ा देना चाहिये ।

नारियल के तेल का अधिकतर प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है तथा एक लाख टन में उस की मात्रा केवल ४०,००० टन है । इसीलिये कृषकों के लाभार्थ हमें आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिये तथा इसी से मंत्री महोदय कृषकों की भलाई कर सकते हैं ।

साबुन का कुछ मूल्य बढ़ जाने से जनता पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा । सरकार को केन्द्रीय नारियल समिति की सिफारिशों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । हमें इस की मात्रा बढ़ानी चाहिये तथा आयात शुल्क भी २५ प्रतिशत बढ़ा देना चाहिये । पिछले वर्ष नारियल की गिरी का मूल्य ३९० रुपये प्रति कंडी था तथा इस समय मूल्य २७० रुपये है । यह बड़े ही खेद की बात है कि हमारे आयात नीति के सम्बन्ध के सभी सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि आयात शुल्क बढ़ा दिया जाये तथा इस से आयात पर स्वयं ही नियंत्रण हो जायेगा ।

श्री बोगावत : हमारी आयात तथा निर्यात नीति इस प्रकार की होनी चाहिये जिस से कि स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन हो । यदि अमरीका घी, मक्खन, दूध आदि के आयात की स्वीकृति

[श्री बोगावत]

दी जायेगी तो उस का प्रभाव हमारे देश-वासियों पर बहुत बुरा होगा । नियंत्रण हमारे देश के लिये उपयुक्त सिद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि उन के द्वारा उद्योगपतियों ने बहुत लाभ उठाया है । उन्होंने आयात, निर्यात सभी पर अपना एकाधिकार कर रखा है । इसलिये मेरे विचार से उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों के हितों की रक्षा के लिये इस की अवधि केवल १९५७ तक ही बढ़ाई जानी चाहिये तथा भविष्य में आने वाली सरकार को अपनी नीति निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सन्तुलन बनाये रखने के लिये निर्यात तथा आयात नियंत्रण का होना आवश्यक है परन्तु इस को कार्यान्वित उचित रूप से करना चाहिये जिस से कि बाजार में कोई गड़बड़ी उत्पन्न न हो । हम देखते हैं कि कृषि उत्पादों के मूल्य इतने गिर गये हैं कि कृषक को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ।

मूल्य की गिरावट के कारण उत्पादक कठिनाई में पड़ गये हैं । इसी कारण हम अपना लक्ष्य भी बदल रहे हैं । हम समाजवादी समाज की स्थापना कर रहे हैं इसलिये इस की अवधि १९५७ तक रखी जानी चाहिये ।

सभी का ऐसा अनुभव है कि आवेदन-पत्रों को सामान्यतः अस्वीकार कर दिया जाता है । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि उच्च-पदाधिकारी दोषी हैं । परन्तु कुछ व्यक्ति तो घूस लेते ही हैं । इसलिये इस बुराई को दूर करने के लिये, अनुज्ञप्ति के लिये एक फीस निर्धारित की जानी चाहिये जोकि अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय ली जानी चाहिये उस के लिये आवेदन करते समय नहीं ।

श्री करमरकर : प्रारम्भ में मुझे यह कहना है कि इस विधेयक का स्वागत लगभग सभी ओर से किया गया है । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस सभा में तथा सभा से बाहर विदेशी विनिमय का नियंत्रण करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है ।

जब मैं ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था, तो मैं ने कहा था कि सभा को भूतकाल में किये गये कार्यों पर कुछ कहने का अवसर मिलेगा । यद्यपि विदेशी विनिमय तथा विदेशी विनिमय की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति अब सन्तोषजनक है । तथापि हमें इस पर प्रसन्न नहीं होना चाहिये । इसीलिये सभा को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिये जाने पर मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं ।

मेरा विचार है कि यद्यपि इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी तर्क भ्रान्तिवश प्रस्तुत किये गये हैं फिर भी कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये ।

मुझे श्री चटर्जी का भाषण बहुत ही सुन्दर लगा है । उन्होंने विदेशी विनिमय नियंत्रण की आवश्यकता का पूर्णरूपेण समर्थन किया है । पहले इस नीति के सम्बन्ध में जो शिकायतें थीं वह अब अधिकांशतः दूर हो चुकी हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने एक बात से अपनी सहमति प्रकट कर के सभी बातों के विषय में पूर्णरूपेण सहमति प्रकट की है । इस के पश्चात् उन्होंने नियंत्रणों के उदारीकरण के परिणामस्वरूप देशी उद्योगों के हितों के संकटास्पद स्थिति में पड़ जाने का निर्देश किया था और अनुज्ञप्तियों के अन्धाधुन्ध जारी किये जाने का विरोध किया था । कदाचित सभा यह अनुभव करती है कि हमारी आयात नीति विदेशी विनिमय की उपलब्धता पर आधारित होती है और इसलिये हम ने अपनी

कठिनाइयों का अपने देशी उद्योगों को सहायता देने में लाभ उठाया है। मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरा उद्देश्य तथा लक्ष्य उद्योग को सहायता दे कर आगे बढ़ाना था, और हमारे उद्योगों को मशीनरी या कच्चे माल की कोई कमी नहीं हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन का देशनांक वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। यह देशनांक गत वर्ष १३४ था और इस वर्ष १४४ है। इस वृद्धि का श्रेय उद्योग तथा सरकार दोनों को मिलना चाहिये। यह उद्योग को पूंजी माल तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने की सामान्य नीति का दिग्दर्शन कराता है। जब भी हम अपनी आयात नियंत्रण नीति को बनाते हैं, यह काम हम प्रत्येक छः मास पश्चात् करते हैं, तो हम विशिष्ट सुझाव मांगते हैं, और प्रत्येक सुझाव पर समुचित ध्यान दिया जाता है। हमारा विकास विभाग भी हम को परामर्श देता है। हम अपनी नीति को आधुनिकतम बनाते हैं। जब भी कोई फ़ैक्टरी खोली जाती है, हम उस के उत्पादन पर दृष्टि रखते हैं, और हम यह देखते हैं कि उसी प्रकार के आयात किये गये उत्पादनों के कारण कहीं उद्योग को हानि न उठानी पड़े।

मेरे मित्र ने तदर्थ अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा था। सभा को कदाचित यह ज्ञात है कि तदर्थ अनुज्ञप्तियां देने का कोई नियम नहीं है। हम वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते हैं पहले इस बात की शिकायतें की गई हैं कि हमें सभी नवागन्तुकों को प्रविष्ट क्यों नहीं कर लेना चाहिये। हम चाहते हैं कि व्यापार सर्वथा मुक्त रहे। व्यापार के सभी प्रयत्नों को अनाक्रान्त रहने दिया जाये, परन्तु जहां तक हमारे विदेशी विनिमय का सम्बन्ध है हम ने सीमा को उदार बनाने का प्रयत्न किया है। जैसाकि निर्यात अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में है, ९५ प्रतिशत मुक्त अनुज्ञापन है। जहां तक औषधियों तथा वस्तुओं की कुछ अन्य श्रेणियों के आयात का प्रश्न है हम ने एक प्रकार की मुक्त ,अनुज्ञापन प्रणाली को स्थापित करने की चेष्टा की है। ऐसा करना तभी आवश्यक होता है जबकि विदेशी विनिमय की उपलब्धता कुछ वस्तुओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जाना अनिवार्य कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति को विदेशी बाज़ारों में अपने माल को उचित मूल्य पर बेचने देना व्यापार की एक उत्तम प्रणाली हो सकती है परन्तु विदेशी विनिमय की सीमित उपलब्धि के कारण इस प्रणाली से उद्भूत होने वाली कठिनाइयां स्पष्ट हैं। १९४७ में केवल चार महीने ही में इतने ताश (प्लेइंग कार्ड्स) देश में आयात किये गये कि हमारा ५० लाख रुपये का विदेशी विनिमय उन में उड़ गया। इस से विदेशी विनिमय का विनिमयन करना नितान्त आवश्यक हो जाता है ; और यदि हम विदेशी विनिमय को किसी न किसी तरीक़े से नियंत्रित करें, या हम प्रत्येक नवागन्तुक को प्रवेश करने दें, तो हम व्यापार को जहां तक आयातों का सम्बन्ध है पूर्ण रूप से मुक्त नहीं रख सकते हैं। किसी न किसी प्रकार का अनुज्ञापन होना ही चाहिये। यदि सभी को अनुज्ञप्तियां दे दी जायें तो परिणाम क्या होगा ? कुछ दिनों पूर्व गन्धक के आयात के सम्बन्ध में यही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि हम ने मुक्तहस्त से अनुज्ञप्तियां दे दी थीं और प्रत्येक आयात कर्ता ने तार द्वारा अपने आर्डर दिये थे, तो परिणाम यह हुआ कि एक ही सप्ताह में मूल्य अत्यधिक चढ़ गये। संगठित नियंत्रण प्रणाली में अनुज्ञप्तियों के उदारीकरण की भी एक सीमा होती है। एक बार हम ने नवागन्तुकों के सम्बन्ध में उदार बनने की चेष्टा की थी और परिणाम यह निकला कि अनुज्ञप्तियों

[श्री करमरकर]

के लिये आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक हो गई । प्रत्येक व्यक्ति ने जिस के दस-पन्दरह रुपये थे अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये आवेदन कर दिया ।

अब प्रश्न आता है स्थापित आयातकों का ; यदि हम कोई चीज़ चाहते हों, तो वे विदेशों में कुछ लोगों में सम्पर्क स्थापित करते हैं और हमारी सहायता करते हैं । इस का अर्थ यह नहीं कि व्यापार खुला नहीं होना चाहिये किन्तु यदि हम एक बार यह स्वीकार कर लें कि विदेशी विनिमय के उपयोग पर नियंत्रण करना है, तो शेष सब बातें भी करनी पड़ेंगी । आयात अत्यधिक बढ़ गये थे और लोकमत के अनुसार चलना चाहते थे । हम व्यापार को और भी खुला करना चाहते थे और चूंकि उपलब्ध विदेशी विनिमय के द्वारा यह संभव था, हमारी नीति यह रही है कि नये लोगों को वस्तुओं के बारे में और सुविधायें दी जायें ।

मेरे मित्र श्री नायर ने आयात को नियमित करने की ओर निर्देश किया है और सदस्यों ने भी इस प्रश्न को उठाया है । वास्तव में यह मामला बहुत सरल है । कुछ वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ गये थे । सोडा ऐश एक ऐसी वस्तु थी । हम ने केवल यह किया है कि राज्य के नियंत्रण को बढ़ा दिया है । सदन में दोनों ओर से कहा गया है कि राज्य व्यापार अधिक होना चाहिये किन्तु हम जब इस दिशा में कुछ पग उठाते हैं, तो हम पर एकाधिपत्य निर्यात का आरोप लगाया जाता है । हमें अधिकार लेने के लिये कहा जाता है, किन्तु फिर कहा जाता है कि एकाधिपत्य है । सोडा ऐश के आयात के लिये हम ने किसी को एकाधिपत्य नहीं लेने दिया । हम ने विश्व भर में सब से अच्छे और सस्ते टेन्डरों के लिये प्रस्ताव किया था और यह हमें पूर्वी जर्मनी के एक नये समवाय से प्राप्त हुआ था । बहुत सोच विचार के बाद हम ने दो पक्ष निश्चित किये थे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या आयात सरकारी आधार पर होता है या कमीशन के आधार पर ?

श्री करमरकर : बिल्कुल कोई कमीशन नहीं होती । शर्तें निश्चित थीं । हम ने पक्षों पर यह शर्तें लगाई थीं कि उन्हें वितरण करने के सक्षम होना चाहिये और आयात में उन का हित नहीं होना चाहिये । हम ने बताया था कि यह कहां से लिया जाय, किस दाम पर आयात किया जाये और वितरण के लिये उन्हें १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कमीशन मिलेगा । कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि यह कमीशन बहुत अधिक है और पूछते हैं कि इसे इतना बढ़ाने के क्या विशेष कारण हैं ? विशेष कारण यह है कि १९५१ में १० प्रतिशत इन वस्तुओं के लिये उचित समझा जाता था । अब हम १२$^{1}/_{2}$ प्रतिशत उचित समझते हैं । सरकार ने पूरे विचार के बाद यह निर्णय किया था ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि विश्व भर से टेन्डर मंगवाये गये थे । किन्तु मुझे ३ जनवरी की अधिसूचना से पता चलता है कि टेन्डर १२ जनवरी तक भेजे जाने थे । मैं मंत्री जी को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ७ जनवरी को जारी की हुई रसीदें दे सकता हूं, जिन में कहा गया है कि इस अधिसूचना की प्रतियां मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुईं । दूसरे एकाधिपत्य पर आपत्ति यह थी : आप कहते हैं कि विदेशी विनिमय बनाया जाना है किन्तु आप विदेशी फर्मों को वितरण द्वारा लाभ कमाने देते हैं और फिर उन्हें यह लाभ वापस भेजने देते हैं ।

श्री करमरकर : समय के बारे में हम भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे ।

विदेशी फर्मों का प्रश्न सामान्य चर्चा के दौरान में उठाया जा सकता है । इस समय आयात नियंत्रण पर चर्चा हो रही है । वितरण के लिये दो पक्ष चुनने और १२½ प्रतिशत कमीशन निश्चित करने का उद्देश्य यह था कि वह विशिष्ट वस्तु उचित दामों पर उपभोक्ताओं को मिल सके और चोर बाजारी न होने पाये । परिणाम स्पष्ट है ।

अब मैं रेशम बोर्ड को लेता हूं । इसे हम ने बनाया है और यह सरकार के अधीन काम कर रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाले इस का विरोध क्यों करते हैं । यह एक स्वीकृत सार्वजनिक निकाय है जिस का काम उचित मूल्यों पर खड्डियों और अन्य लोगों को कपड़ा देना है । यदि यह काम सरकारी संस्था करती है, तो यह कल्याण राज्य की दिशा में एक कदम है ।

प्रशुल्क के बारे में आप जानते हैं कि प्रशुल्क प्राधिकारियों का काम कठिन होता है । हम ने प्रबन्ध किया है कि उन के और आयात कर्त्ताओं के बीच जो कशमकश उत्पन्न हुई है, कम से कम हो जाये । हमें सलाह देने के लिये अब एक समिति है और इस में वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं ।

आन्तरिक आयात और निर्यात मूल्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा । श्री एन० सी० चटर्जी इस विषय पर बोल चुके हैं ।

श्री मोरे का कहना है कि स्थिति अब भी पहले की तरह खराब है और भ्रष्टाचार फैला हुआ है । किन्तु उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया । यह सत्य है कि आयात नियंत्रण के आरम्भ के समय प्रार्थनापत्रों की संख्या बहुत अधिक थी । वास्तव में मेरे पास मामलों की संख्या है । दुर्भाग्यवश १९५० में कुल संख्या लगभग ८० थी । इन में से १८ मामलों की पूरी जांच हुई थी । और अभियोग दो मामलों में चलाया गया था । इन में कुछ मामलों में लाइसेन्स जब्त करने का दण्ड दिया गया था । १९५१ में १७१ मामले थे । इन सब की जांच की गई थी । काली सूची में रखने के अतिरिक्त ९ मामलों में अभियोग चलाने का आदेश दिया गया था । १९५२ में मामलों की संख्या १६६ थी और इन में से ६७ में जांच पूरी की जा चुकी है । ६ मामलों में अभियोग चलाया गया था । १९५३ में मामलों की संख्या १६८ थी और २८ को छोड़ कर शेष सब में जांच की गई थी । अभियोगों की संख्या इस में नहीं है । मैं इन की संख्या काली सूची में रखने के मामलों से अलग बता रहा हूं । उन्हें भी अपराधी समझना चाहिये । १९५४ में मामलों की कुल संख्या १७० है और इन में से लगभग १५० में जांच की जा चुकी है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं उन पदाधिकारियों के बारे में पूछना चाहता हूं जिन का सम्बन्ध लाइसेन्स देने से था । इन में से कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ?

श्री करमरकर : यह जानकारी पहले दी जा चुकी है । बहुत से पदाधिकारियों को दंड दिया गया है । भ्रष्टाचार के मामले में हम बहुत सख्त हैं और हम चाहते हैं कि अपराधियों को अवश्य दण्ड दिया जाये । यह दुर्भाग्य की बात है कि आयोजन के दिनों में भी लोग ऐसी बातें करते हैं । मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस मामले में अपनी कार्यवाही विरोधी सदस्यों तक सीमित न रख कर जनमत पैदा करें और व्यापारियों आदि को बतायें कि वे ऐसे अनियमित काम न करें । मैं चाहता हूं कि हमें भ्रष्टाचार के उदाहरण देने के बजाय सहयोग दिया जाये ताकि भ्रष्टाचार के छोटे छोटे मामलों का अन्त किया जा सके ।

[श्री करमरकर]

फिर श्री मोरे ने साप्ताहिक सूचों के बारे में कहा था। इस का एक विशिष्ट उद्देश्य है और वह यह है कि प्रति सप्ताह जनता को मालूम हो सके कि कितने लाइसेन्स जारी किये गये हैं, फर्मों के नाम क्या हैं। फिर मुझे विश्वास है कि उन का ख्याल पक्का हो जायेगा। उन्होंने जो बात उठाई उस के बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है। मैं केवल इतना और कहना चाहता हूं कि हम बहुत कृतज्ञ होंगे यदि न केवल भ्रष्टाचार के मामले बता कर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ध्यान रख कर सहयोग दिया जाये ताकि भ्रष्टाचार के छपे हुए मामलों को जड़ से निकाल फैंका जा सके।

फिर उन्होंने साप्ताहिक सूची के बारे में कहा। हम विशेष उद्देश्य से वह सूची प्रकाशित करते हैं। जहां तक सम्भव होता है सूचियों को पूरा रखा जाता है ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या, सार्थों के नाम जान सकें और उस को यह भी पता लग सके कि अमुक-सार्थ पुराना है या नया। इस से मेरे माननीय मित्र प्रत्येक सप्ताह की स्थिति जान सकेंगे। इस में कठिनाई अवश्य होती है परन्तु अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये कठिनाई सहन करनी पड़ती है। ३०० पृष्ठों की सूची पढ़ने में काफ़ी समय लगता है परन्तु यदि मेरे माननीय मित्र पहले पहल दो घंटे लगायें और उन्हें इसे पढ़ने की आदत हो जाये तो बाद में उन्हें सारी सूची नहीं पढ़नी पड़ेगी।

फिर उन्होंने कहा कि निजी अभिकरणों का प्रोत्साहन न किया जाये। मेरा विचार है कि सामाजिक ढांचे को अपनाने की सरकार की नीति को सामने रखते हुए अन्य मंत्रियों की तरह हम भी इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि कहां तक राजकीय व्यापार और औद्योगिक सहकारी समितियों पर निर्भर कर सकते हैं। इस सुझाव से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वह इस का अध्ययन करें कि अधिक से अधिक विदेशी व्यापार किस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य को सौंपा जा सकता है। इस सुझाव से कुछ रचनात्मक कार्य हो सकता है। वह इस पर विस्तारपूर्वक विचार करें। मैं श्री मोरे की बातों का उत्तर दे चुका हूं।

अब मैं श्री ए० एम० थामस द्वारा कही गई बातों का उत्तर देता हूं। उन्होंने व्यापारिक समझौतों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। यह सत्य है कि व्यापारिक समझौतों में सामान्यतः हमारी कोई नीति नहीं होती, न ही हम मात्रा के प्रतिबन्धों के बारे में सोचते हैं कि हम इतनी पटसन और दूसरी वस्तुयें भेजेंगे और उस के बदले में हम इतनी वस्तुयें प्राप्त करेंगे। ऐसा करने से काम नहीं चलता। यदि हम किसी देश को निश्चित मात्रा में चाय या कपास भेजने का वचन दे दें और हम ऐसा न कर सकें तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र सी हो जाती है। हम एक दूसरे को आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूचियां दे देते हैं। और यह बात व्यापारी पर छोड़ देते हैं कि वह जिस बाज़ार से चाहे माल मंगवा ले। मैं एक उदाहरण बतलाता हूं। पिछले वर्ष हम ने बम्बई के एक कृत्रिम रेशम संगठन को काफ़ी मात्रा में कृत्रिम रेशम आयात करने के लिये अनुज्ञप्ति दी। उन्हें इटली और जापान से सौदा करने की स्वतंत्रता दी गई। यदि हम उन्हें एक ही देश से माल मंगवाने के लिये बाध्य करते तो इससे कुछ हानि हो सकती थी।

फिर उन्होंने राजकीय व्यापार के बारे में कहा था। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। यह कुछ कठिन विषय

है । इस पर निर्णय करना आवश्यक है परन्तु वह निर्णय क्या होगा । उस का स्वरूप क्या होगा और वह कहां तक सीमित होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा और प्रत्येक बात पर निर्णय करना पड़ेगा । इस समय हम हस्तकलाओं पर विचार कर रहे हैं और इसके लिये एक निर्यात निगम स्थापित करने के बारे में कार्यवाही की गई है ।

बाज़ार के उतार चढ़ाव के बारे में श्री थामस ने एक और बड़ी उपयोगी बात कही । मैं ने कहा कि यह 'उपयोगी' है क्योंकि यह ठीक नहीं है । निर्यात शुल्क का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ रुचि रखने वाले लोग ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो साधारणतया उन्हें नहीं करनी चाहिये । इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें अपनी नीति का निर्णय करना है । हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि निर्णय शीघ्र किये जायें ।

उन्होंने मसाला जांच समिति और न्यूयार्क और लन्दन में निर्यात बढ़ाने वाले अभिकरणों के बारे में कुछ कहा था । मैं नहीं जानता कि इस सुझाव का क्या बना परन्तु जैसाकि वे जानते हैं कि हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक संख्या में अभिकरण स्थापित करना चाहते हैं । हमारे दूतावास हैं, प्रदर्शन कक्ष हैं । इसी प्रकार सरकार और भी यत्न करेगी । मुझे खेद है कि मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मामला अब कहां तक पहुंच चुका है ।

केन्द्रीकरण के बारे में एक छोटी सी गलती है । कुछ विशेष प्रकार की अनुज्ञप्तियों के अतिरिक्त जो बहुत थोड़ी हैं हम ने विकेन्द्रीकरण कर दिया है । विशेषकर निर्यात के लिये हम ने त्रावनकोर-कोचीन के निर्यातकारों के लिये एक कार्यालय खोला है क्योंकि उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा निर्यात होता है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी हमारे कार्यालय हैं । हम ने उन्हें जो कार्य सौंपा है उसे वे बड़े अच्छे ढंग से करेंगे । केन्द्र के पास अब बहुत कम काम है । यदि उन्हें इस बात का पता होता तो वे ऐसा न कहते ।

श्री ए० एम थामस : क्या वह कोचीन कार्यालय के बारे में कह रहे हैं ।

श्री करमरकर : वह नहीं । मैं उन पर कोचीन कार्यालय के बारे में न जानने का दोषारोपण नहीं करूंगा । इस बारे में तो वे सब से पहले जान गये होंगे । मैं तो विभिन्न केन्द्रों में अनुज्ञप्तियों सम्बन्धी कार्य के बारे में कह रहा था ।

अब मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी के कथनों की ओर आता हूं । फिर मुझे बड़े खेद से कुछ अप्रसन्न बातें कहनी पड़ रही हैं । वस्तुतः मैं ने केवल यही कहा था कि हम ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि हम अपने उद्योगों पूंजीगत सामान, कच्चे पदार्थों इत्यादि के बारे में जो कुछ करते हैं वह पंच वर्षीय योजना के अनुसार होता है । हम जब कभी कोई विधान प्रस्तुत करते हैं हम उसे इस प्रस्तावना के साथ आरम्भ नहीं करते कि 'क्योंकि पंच वर्षीय योजना और उस में दिये गये कार्यक्रम का अनुसरण करना आवश्यक है, इसलिये ऐसा किया जा रहा है ।' मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि हम सब कार्य पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत करते हैं । उन्हें यह बताने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि पंच वर्षीय योजना में खाद्य, वस्त्र और दूसरी वस्तुओं के जो लक्ष्य रखे गये थे उन से उत्पादन बढ़ चुका है । उन्हें यह जान कर खुशी होगी कि हम वही कर रहे हैं जो वे चाहते हैं कि हम भविष्य में करें ।

[श्री करमरकर]

फिर उन्होंने एकाधिकारों के बारे में कुछ कहा । जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं यदि उस से उन को सन्तोष नहीं हुआ तो मेरे और कुछ कहने पर भी उन्हें सन्तोष न होगा । उन की इस बात के विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ।

फिर उन्होंने उद्योगों के बारे में कुछ कहा । उन का कहना है कि हम उद्योगों की प्रगति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन्होंने जो उदाहरण दिये वे सब गलत थे । एक सीमेंट के बारे में था । मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि हम अपनी आन्तरिक मांग ही पूरी नहीं कर पाते । क्योंकि राज्य को अपनी योजनाओं के लिये सीमेंट की बड़ी आवश्यकता है । इसलिये उपभोक्ताओं को सीमेंट नहीं मिल पाता । यदि मुझे ठीक याद है तो हम उन की मांग का कुछ प्रतिशत पूरा कर देते हैं । शतप्रतिशत नहीं । राज्यों की सारी मांग हम पूरी कर देते हैं और अन्य आवश्यकताओं का ८० प्रतिशत । अतः वर्तमान में अधिक आयात का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इस में कोई सन्देह नहीं कि सम्भव होने पर हम स्थानीय संभरण के लिये अवरोधजनक होने पर भी निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं । ऐसा कभी होता है परन्तु दक्षिण भारत से उत्तर भारत में सीमेंट लाना मितव्ययतायुक्त कार्य नहीं है । ऐसे मामलों में हम निर्यात की अनुज्ञा देते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ने अपने भाषण में कहा था कि दक्षिण भारत बर्मा को सीमेंट निर्यात किया करता था । अब वह निर्यात बहुत घट गया है । यदि सीमेंट हमारी आन्तरिक आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं तो यह बात कपड़े पर भी लागू होती है ।

श्री करमरकर : मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने इस का उल्लेख कर दिया है । उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जो मेरे विचार में बिल्कुल गलत है ।

जहां तक आन्तरिक संभरण का सम्बन्ध है हमें इस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है । हमें यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है । दो वर्ष में हम देश के लिये काफ़ी सीमेंट तैयार करने के योग्य हो जायेंगे । तब इस के लिये बाज़ार ढूंढना हमारा कर्तव्य होगा । अब भी हम कुछ वस्तुओं के बारे में इच्छा न होते हुए भी निर्यात की अनुज्ञा दे देते हैं ।

वस्त्र के बारे में वह तथ्यों को नहीं समझ सके हैं । वास्तव में कपड़े की स्थिति बड़ी सन्तोषजनक रही है । एक दिन कोई माननीय सदस्य मुझ से १९३९ में और इस समय वस्त्र की उपलब्ध मात्रा के बारे में पूछ रहे थे । तब मुझे पता चला कि युद्ध से पूर्व १९३९ में यह १५ गज़ प्रति व्यक्ति थी और पिछले वर्ष के आंकड़े भी यही थे । यह कहने से कोई लाभ नहीं कि युद्ध से इतनी हानि पहुंची है कि लोग उसी स्तर पर रह रहे हैं जिस पर युद्ध से पूर्व रह रहे थे । हमें इस महान समस्या का सामना करना पड़ रहा है । यह कहना और बात है कि हम वस्त्र का निर्यात कर के बाज़ार पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । बाहर भेजने के लिये हमारे पास काफ़ी कपड़ा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : परन्तु मूल्य अधिक हैं ।

श्री करमरकर : इस में सन्देह नहीं कि मूल्य अधिक हैं । वह दूसरी बात है । क्रय शक्ति एक बिल्कुल भिन्न विषय है । परन्तु

जहां तक उपलब्धता का सम्बन्ध है हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे कहने का यह अर्थ था कि इंगलैंड को कपड़े का निर्यात करने के कारण आन्तरिक बाज़ार में कपड़े का मूल्य बहुत बढ़ गया है ।

श्री करमरकर : वास्तव में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने यही बात कही है । वह कह रहे हैं कि हम उद्योग का ठीक ध्यान नहीं रखते । उन्होंने दो बातें कही हैं एक सीमेंट के विषय में दूसरी सूती वस्त्र निर्माण के विषय में । सूती वस्त्र निर्माण के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि न केवल आन्तरिक बाज़ार का ही विस्तार हुआ है, अपितु निर्यात भी बहुत अधिक हुआ है । यद्यपि हमारा लक्ष्य सदा १०००० लाख गज का रहता है तब भी पिछले वर्ष यह ८००० लाख गज से अधिक था, जो पर्याप्त सफलता का द्योतक है ।

श्री लिंगम ने विलास-सामग्रियों के सम्बन्ध में कुछ कहा है । वास्तव में, ५३० करोड़ रुपये में से, केवल १४ करोड़ रुपये की प्रसाधन सामग्री मंगवाई गई है, अर्थात् २ प्रतिशत । निस्सन्देह, किसी भी व्यक्ति को इन विलास-सामग्रियों में पड़ने वाले व्यक्तियों से खीझ उत्पन्न होती है, परन्तु तो भी वे हमारे देश के अंग हैं । बेशक हम अपने विदेश विनिमय को गंवा नहीं सकते, किन्तु हम २ प्रतिशत की मात्रा तक विलास-सामग्रियों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी अधैर्य प्रदर्शित नहीं कर सकते । मैं नहीं समझता कि सभा इसे अनुचित समझेगी ।

श्री नायर ने कहा है कि मैं एक वकील के समान बोलता हूं । तथापि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केवल कुछ एक व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सभी व्यक्तियों को संतोष प्राप्त हुआ है । पूर्णतया उपयुक्त और संक्षेप में बोलना अच्छी बात है । जो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, वे पहले कही गई बातों की पुनरावृत्ति है, जिस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें मेरे भाषण से उत्तेजना नहीं मिली है । उन्होंने साम्राज्यिक अधिमान का उल्लेख किया है । पिछले अवसर पर मैं ने जो विस्तारपूर्वक उत्तर दिया था, यदि मैं उस का उल्लेख करूं, तो माननीय सदस्य को इस का विपरीत भाव नहीं लेना चाहिये । मैं वास्तव में उस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । माननीय सदस्य पुस्तकालय में जा कर उस उत्तर को देख सकते हैं । हम ने इस प्रश्न पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया है और हम नहीं समझते कि इन साम्राज्यिक अधिमानों से हमें किसी प्रकार भी हानि हो सकती है ।

वर्तमान उदाहरण लीजिये । इंगलिस्तान क्या कर रहा है । इस ने हमारे सूती वस्त्र पर आयात शुल्क नहीं लगाया है, जबकि हम ने उन के निर्यात पर एकदम ८० प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है । इन अधिमान नियमों के अधीन वास्तव में यह होता है । क्या यह सभा यह समझती है कि इस से हमें कुछ हानि होगी कि हम तो इंगलिस्तान में अपनी वस्तुएं बिना आयात शुल्क भजते हैं और बहुत ऊंचे आयात शुल्क के साथ उन की वस्तुयें मंगवाते हैं ? क्या श्री नायर इसे असन्तोषजनक अवस्था समझते हैं ? इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने का यह उचित अवसर नहीं है । इस सभा के इस पक्ष के हम लोग यह अनुभव करते हैं कि आंग्ल-भारतीय करार से हमें कुछ हानि नहीं हो सकती ।

सामान्य व्यापार तथा प्रशुल्क करार के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों को भ्रम है । किसी सज्जन ने कहा था कि जिन वस्तुओं को हम रक्षण देना चाहते हैं, हम उन के

[श्री करमरकर]

बारे में सामान्य व्यापार तथा प्रशुल्क करार से छुटकारा नहीं पा सकते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : प्रशुल्क जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार सामान्य व्यापार तथा प्रशुल्क करार के आभारों से छुटकारा नहीं पा सकी है ।

श्री करमरकर : वह एक ऐसी बात का उल्लेख कर रहे थे जो संभवतः संगत न हो । मैं किसी संगत बात और सभा के पहले वाद विवादों का उल्लेख करूंगा, जब हम ने बाल बेयरिंग जैसी कुछ वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया था । वह उन वाद-विवादों में देखेंगे कि हम कई वस्तुओं के मामले में कैसे छुटकारा पा सके हैं । इस में सन्देह नहीं कि इस की भी एक प्रक्रिया है, किन्तु अब तक हमें तनिक भी कठिनाई अनुभव नहीं हुई है । यदि इस करार के रहने से हमारे औद्योगिक विकास में तनिक भी कठिनाई आये, और अन्य कोई लाभ न हो, तो हमें निश्चित रूप से इस करार को तोड़ना होगा ।

मैसर्ज़ लालचन्द एंड कस्तूरभाई लाल भाई के बारे में भी कुछ कहा गया है किन्तु यह सब असंगत है । श्री तुलसीदास किलाचन्द ने भी एकाधिकारी आयातों की ओर चुपके से संकेत किया है । उन का इन दोनों समवायों से अभिप्राय था । किन्तु उन्हों ने ऐसी बारीकी के साथ यह बात कही है, कि इस का मेरे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

एक और बात कही गई है कि अन्य मंत्रालयों की तुलना में यह मंत्रालय कैसे काम करता है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस बात का ज्ञान है कि खाद्य तथा कृषि के मामले में क्या किया जाय । हम नारियल और नारियल के तेल के आयात के मामले में साधारणतया उन का परामर्श लेते हैं, और खाद्य वस्तुओं के आयात के मामले में उन की बात मानी जाती है और हम तो केवल मंगवाते हैं । सरकारी यंत्र में कोई बात गुप्त नहीं होती । प्रत्येक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को परामर्श दे सकता है और अन्तिम निर्णय समूची सरकार द्वारा किया जाता है । अतः इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कौन सा मंत्रालय अमुक काम करता है । उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधियों आदि के आयात और कच्चे माल के आयात के मामले में प्रभारी होता है । कच्चे माल का कच्चा औलकिया सरपैंटिना के निर्यात के विषय में बड़ा मतभेद था । इन मामलों में सरकार सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श पर निर्भर नहीं रहती ।

श्री झुनझुनवाला ने कृत्रिम रेशम के सम्बन्ध में कुछ कहा है । उन के प्रश्न का उत्तर उन के पीछे बैठे हुए महानुभाव द्वारा दे दिया गया था । उन्हों ने इस का भार सब के कन्धों पर डाल दिया कि ऐसा होना ही चाहिये क्योंकि लोग इसे चाहते हैं । प्रत्येक व्यक्ति का काम करने का अपना अपना मार्ग होता है । उदाहरणार्थ कई गांवों और तालुकों में चाय के उपयोग को रोकने और किसी निश्चित समय के अन्दर चाय की दुकानों को खुला रखने के द्वारा चाय के समय का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस का परिणाम यह हुआ कि वहां दूध सस्ता हो गया । किन्तु सरकार इस प्रकार नहीं कर सकती । यदि लोग कृत्रिम रेशम चाहते हैं तो इस के पक्ष में और विपक्ष में कहा जा सकता है ।

श्री झुनझुनवाला स्थिरता के पक्षपाती हैं । परन्तु वर्तमान विश्व अस्थिरता का पक्षपाती है । पांच या दस टिकाऊ साड़ियों के स्थान पर आज की नारी बीस साड़ियां

चाहती है, चाहे वे उतनी अधिक टिकाऊ न भी हों। उन्हों ने कहा है कि "आप पांच खरीद लें, हम पांच खरीद लें, और सहकारिता से उन्हें पहनें।" भला हम सब लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं ? हम मूलतः बुरी और गन्दी चीजों को रोकते हैं। यदि आप कुछ लोगों के विश्वास के कारण चाय या कहवा को रोकना चाहते हैं, तो मुझे सन्देह है कि कोई भी यंत्र एक दिन भी काम कर सकेगा। हम जीवन को नियमबद्ध नहीं बना सकते, जब कि वह जीवन प्रकट रूप से लोकहित का विरोधी न हो।

किन्तु हम ने रेशम बोर्ड को प्रचार कार्य के लिये पर्याप्त अनुदान दिया है। हम रेशम के कीड़े और तत्सम्बन्धी चीजें मंगवाना चाहते हैं और यदि श्री झुनझुनवाला यहां होते तो उन्हें यह जान कर अत्यधिक प्रसन्नता होती कि हमें यह विषय कितना प्रिय है।

विदेश से मंगवाये जाने वाले घी जैसे विषय पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे आशा है कि यदि माननीय सदस्यों को इस में दिलचस्पी है तो वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछ सकते हैं।

भाड़े के प्रश्न और भारतीय नौवहन सेवाओं की सहायता करने के सम्बन्ध में श्री बंसल का सुझाव महत्वपूर्ण है। किन्तु हम उस मामले में आयात नियंत्रण के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। यह समस्त भारत सरकार की सामान्य नीति का मामला है। मान लीजिये हम उत्साहित करते हैं—हाल ही में हम ने किराया भाड़ा सहित मूल्य की नीति को अपनाया है, अर्थात् परोक्ष रूप से हम विदेशी नौवहन की बजाये भारत नौवहन की सहायता कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा काम है—किन्तु मान लीजिये आयात गिर जाते हैं। इसलिये हमें परिणाम जाने बिना एक मामले को दूसरे मामले के साथ नहीं मिलाना चाहिये। अभी तक हम ने इस विषय पर विचार नहीं किया है और न ही निकट भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं। वायु को अनुकूल बनाने वाले यंत्रों के सम्बन्ध में, जिन के विक्रय मूल्य आयात मूल्यों की तुलना में ठीक नहीं हैं, श्री हेडा ने कुछ कहा है। उपभोक्ताओं को लूटा न जाय इस उद्देश्य के लिये हम लाभ का प्रतिशत निश्चित करने का विचार कर रहे हैं। अभी हम ने कोई निर्णय नहीं किया कि क्या किया जाना चाहिये।

श्री अच्युतन ने नारियल के भाव का कई बार उल्लेख किया है। मैं ने भी इन के भाव की वृद्धि की तुलना की है—निस्सन्देह अब इन के भाव गिर रहे हैं—किन्तु यदि हम अन्य वस्तुओं के भावों की वृद्धि के साथ इस की तुलना करें, तो मालूम होगा कि नारियल के भावों में ७०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। किन्तु हम स्थानीय उत्पादकों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं आयात की मात्रा के बारे में तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता। किन्तु हम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के निकट परामर्श के साथ अपनी आयात नीति का निर्णय करते हैं। यदि वह किसी अवसर पर यह अनुभव करते हैं कि अधिक आयात करने में गलती की गई है तो उन के सुझाव का स्वागत किया जायगा।

प्रार्थना शुल्क के सम्बन्ध में श्री बोगावत ने जो कुछ कहा है मैं उस की सराहना करता हूं। अभ्यर्थियों ने कभी भी प्रार्थना शुल्क के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की है। कई बार प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये, यदि कोई कमी हो, मान लीजिये हम नौवहन बिल पेश करवाना चाहते हैं या आय-कर प्रमाण-पत्र चाहते हैं जैसाकि हम उन से मांगते

[श्री करमरकर]

हैं, और यदि उस में कोई सारभूत चीज़ नहीं है तो हमें प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना होगा । उसे जोखिम उठानी पड़ती है । यदि वह शुल्क देता है तो प्रार्थना पत्र के अस्वीकृत होने की अवस्था में वह शुल्क वापिस नहीं मांग सकता । अभ्यर्थियों को स्वयं ध्यान रखना चाहिये ।

श्री बोगावत : मैं आप को मामले दिखा सकता हूं ।

श्री करमरकर : निस्सन्देह, यदि कोई वास्तविक कठिनाई है, तो मैं शुल्क वापिस करने का वचन तो नहीं देता, किन्तु मैं ऐसे मामलों में प्रार्थना पत्र का परीक्षण अवश्य करवाऊंगा ।

यद्यपि मेरा भाषण लम्बा हो गया है, तो भी सभा आयात और निर्यात नियंत्रण की आवश्यकता को अनुभव करती है । मैं एक बार फिर जोरदार वाद विवाद की प्रशंसा करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

खण्ड २—(१९४७ के अधिनियम १८ की धारा १ का संशोधन)

श्री बोगावत का संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड ४ का एक संशोधन है ।

श्री बोगावत : मैं यह संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड ४ तथा ५ सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"खण्ड ४ तथा ५ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ तथा ५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री करमरकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री वी० पी० नायर : विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री महोदय ने यह वचन दिया था कि वह हमारे सुझावों पर अवश्य विचार करेंग, परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि उन्हों ने मेरे सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों पर अवश्य विचार करें ।

मैं ने, विशेष रूप से, यह सुझाव रखा था, कि इस बात पर विचार किया जाय कि जी० ए० टी० टी० में सम्मिलित होने के स्थान पर क्यों न अन्तर्राष्ट्रीय पण्य-करारों में सम्मिलित हुआ जाय । भारत ने अन्य देशों से जो व्यापारिक करार किये

हैं उन का मैं स्वागत करता हूं । तथापि ये थोड़े से करार इस व्यापक संसार को देखते हुए बहुत ही सीमित से दीखते हैं । मैं ने श्री लालचन्द हीराचन्द और श्री कस्तूर भाई लालभाई के नामों का उल्लेख इस-लिये किया था कि ऐसे लोग निराधार बातें फैलाते रहे हैं । अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद् से एक शिष्टमण्डल इस तथ्य की खोज के लिये भेजा जाय ताकि हम संसार को दिखा सकें कि हमारा इस में कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है ।

मैं ने पहले भी कहा था कि उदारीकरण की नीति से अनेक हानियां होने का डर है । इसी प्रकार से परिमाण सम्बन्धी निबर्धनों के उत्सादन से भी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । इस से एकाधिपत्य को तो तोड़ा जा नहीं सकेगा, उलटी हानि ही होगी ।

माननीय मंत्री इस प्रश्न पर भी विचार करें कि इम्पीरियल कैमीकल्ज़, इण्डिया लिमिटेड, को, अनेकों अन्य वस्तुओं के साथ, सोडा ऐश को भी वितरित करने का अधिकार देना कहां तक ठीक है । यदि इस अधिकार के कारण कम्पनी ने सोडा ऐश को बेचते समय कोई अनुचित शर्तें लगा दीं, तो उस को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

यदि आप विदेशीय विनिमय को संरक्षित रखना भी चाहते हैं तो आप ने यह कार्य एक विदेशी सार्थ को क्यों सौंप दिया है जोकि अपना सारा लाभ विदेशों को भेज सकता है ?

श्री सारंगधर दास : आयात अनुज्ञप्तियों के लिये स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं । कुछ वर्ष पूर्व सा किलों के आयात के सम्बन्ध में एक मामला आया था । हम ने अनुज्ञप्तियों की स्वतंत्रता के प्रश्न का समर्थन किया था । और आज भी मैं इस का समर्थन करता हू । परन्तु सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह देखे कि कौन उस अनुज्ञप्ति का सदुपयोग करता है और कौन दुरुपयोग । कुछेक व्यक्ति तो इन अनुज्ञप्तियों को चोर बाज़ार में बेच देते हैं । अतः ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें बड़ा सचेत रहना चाहिये । उड़ीसा के एक निगम ने २००,००० साई-कलों की अनुज्ञप्ति चोर बाज़ार में बेच दिया था । उन का दोष सिद्ध भी हो गया था, परन्तु फिर भी अभी तक उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही नहीं की गई । इसलिये किसी भी नई कम्पनी को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिये ।

श्री करमरकर : मैं केवल दो मिनट ही बोलूंगा । मैं ने श्री नायर की सभी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है । उन की सभी बातें ये थीं :—साम्राज्यी पक्षपात, जी० ए० टी० टी०, राज्य का भाग लेना, लालचंद और कस्तूर भाई लाल भाई तथा सोडा ऐश । इन में से चार बातों के विषय में तो मैं विचार प्रकट कर चुका हूं । पांचवीं बात बिल्कुल निराधार सी दीखती है, अतः मैं ने इस का उल्लेख कर के इस बात को महत्व देने का प्रयत्न ही नहीं किया । मेरे मित्र वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि सम्भवतः कुछेक क्षेत्रों में विदेशी व्यापार का विरोध करने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु उन के कथन का हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है । सरकार के रूप में हम तो गुणों की दृष्टि से परीक्षण करते हैं और न कि इस दृष्टि से कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये सुझाव दिये गये हैं । यह एक ऐसा विषय है कि इस के सम्बन्ध में मैं उन्हें ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता । हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहने से रोक नहीं सकते, जब तक कि वह

[श्री करमरकर]

विधि का उल्लंघन न करे। परन्तु उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार कभी भी किसी के मत से केवल इसी आधार पर सहमत नहीं हो सकती कि वह विशेष व्यक्ति उसे पसन्द करता है। यदि कोई व्यक्ति ठीक बात कहेगा, तो उसे अवश्य माना जायगा। जहां तक अन्य चार बातों का सम्बन्ध है, प्रत्येक बात का उत्तर दे चुका हूं।

उन्हों ने जिस एक मामले के बारे में कहा है उस का उल्लेख तो कई बार हो चुका है। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकार ने उस अभियुक्त की रक्षा की है। कोई भी वक्तव्य देने से पूर्व तथ्यों की अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिये। हो सकता है कि सरकार ने उन के विचार से कुछ भिन्न सा निर्णय दिया हो, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि सरकार ने उस दोषी को बचा लिया है। यदि पुलिस वहां पर गई थी और खोज की थी, तो सारा कार्य बड़े उत्तरदायी ढंग से किया गया था। जब वह मामला हमारे पास वापिस आ गया था, तो हम ने उस मामले को समाप्त कर देने का निर्णय किया। निःसंदेह इस निर्णय का भी कोई वैध कारण ही था। यदि माननीय सदस्य ने तथ्यों के बारे में अभिनिश्चय कर लिया है और वह ऐसा वक्तव्य देना चाहते हैं तो मैं इस मामले की जांच करने के लिये तैयार हूं, परन्तु उन्हें पहले यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि यदि उन की बात झूठ निकली तो वह ऐसे वक्तव्यों को फिर से नहीं दोहरायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अत्यावश्यक पण्य विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामान्य जनता के हित के लिये कुछ वस्तुओं के उत्पादन, संभरण और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पूर्व इस के कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, मैं यह बता देना चाहता हूं कि सभा के कुछेक सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि यह एक अत्यावश्यक विधेयक है ; अतः इसे एक प्रवर समिति को भेजना चाहिये। यदि सदस्यों का यही मत है तो मैं भी सदस्यों के इस सुझाव को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस आशय के संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री करमरकर : हां, मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री वेंकटरामन (तंजोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक को श्री एन० एम० लिंगम्, डा० सुरेशचन्द्र, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री बसन्त कुमार दास, श्री घमंडी लाल बंसल, श्री राधेश्याम राम कुमार मोरारका, श्री भागवत झा 'आज़ाद', श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री रायचन्द भाई एन० शाह, श्री नन्द लाल जोशी, श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी, श्री विश्वनाथ राय, श्री खुशीराम शर्मा श्री देवेश्वर सर्मा, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला. पण्डित ठाकुरदास भार्गव, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री शिवराम रांगोराने, श्री टेकचन्द, श्री तुलसीदास किला चन्द, श्री

अशोक मेहता, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री ए० एम० थामस, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री कमल कुमार बसु, श्री तुषार चटर्जी, श्री डी० पी० करमरकर, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे १५ मार्च, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : क्या माननीय मंत्री इस पर अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे ?

श्री करमरकर : यह विधेयक प्रवर समिति के पास जा रहा है, इसलिये इस अवसर पर मेरा लम्बा चौड़ा भाषण देना उचित नहीं है ।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात ही है कि कुछेक अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन, संभरण और वितरण पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है । उदाहरणार्थ आप कपास, कच्ची पटसन, कागज़, लोहा, इस्पात, सूती और ऊनी वस्त्रों को ही ले लीजिये ।

यद्यपि हम इन वस्तुओं का पर्याप्त रूपेण उत्पादन कर रहे हैं तथापि जीवन की इन अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि विभाजन के उपरान्त हम ने कपास के उत्पादन में अत्यधिक प्रगति की है । यह प्रगति वास्तव में आशातीत प्रगति है । तो भी मांग के अनुसार इस का संभरण नहीं हो सका है । अतः कपास की स्थिति कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है । अभी भी हमें कपास बाहिर से मंगानी पड़ती है । यद्यपि हम योजना-आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य—अर्थात् मिल के कपड़े के ४७,००० लाख गज़, और हथकरघे के कपड़े के १७,००० लाख गज़, के उत्पादन तक पहुंच गये हैं, तथापि हमें लगभग ३१८० लाख पौंड कपास की आवश्यकता है जबकि आज केवल २१८० लाख पौंड का ही संभरण हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि मिल के कपड़े और हथकरघे के कपड़े के हितों को ध्यान में रखते हुए कपास तथा कपड़े के उत्पादन, संभरण और वितरण पर नियंत्रण रखा जाये ।

अब कच्चे पटसन को ही ले लीजिये । यह हमारे पटसन-उद्योग के लिये अत्यावश्यक है । विभाजन के पूर्व कच्चे पटसन के सम्बन्ध में भारत का सारे संसार में एकाधिपत्य था । परन्तु विभाजन के उपरान्त अब स्थिति बदल गई है । अब तो पटसन का निर्यात करने के स्थान पर हमें इस के लिये अपने पड़ौसी देश पर निर्भर करना पड़ता है । विभाजन से पूर्व वर्ष में पटसन का कुल उत्पादन १६$^{१}/_{२}$ लाख गांठें था, १९५२-५३ में इस का उत्पादन ४७ लाख गांठों तक जा पहुंचा था, परन्तु उस के उपरान्त १९५४-५५ में कुछ कमी हो गई है—अर्थात् यह उत्पादन ३६ लाख गांठें था । पटसन के भारतीय उद्योगों के लिये लगभग ६० लाख गांठों की आवश्यकता है । पिछले दो वर्षों में यद्यपि पटसन के उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि पटसन के कच्चे माल की कमी के कारण से भारतीय मिलों को अपना कार्य घटा देना पड़ता है । अतः पटसन पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है ।

लोहे और इस्पात के सम्बन्ध म तो हमारे सार्वजनिक विकास कार्यों की दृष्टि से, और उद्योगों को उचित मूल्यों पर लोहे और इस्पात के वितरण करने की दृष्टि से नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है ।

खाद्य और खाद्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यद्यपि अब कोई संकट का भय नहीं, तथापि यह अत्यावश्यक है कि हम इस की स्थिति

[श्री करमरकर]

पर सदा नज़र रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं कि भविष्य में क्या हो । मान लो कि वर्षा नहीं होती, अथवा बहुत कम उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें फिर से नियंत्रण लगाना पड़ेगा जिस से अभी हम मुक्त हुए हैं । जो भी हो, बुद्धिमत्ता इसी में है कि खाद्य-वस्तुओं पर नियंत्रण रखने के अधिकार सरकार के हाथ में हों । पशुओं के चारे के विषय में भी यही बात सत्य है ।

मैं इस विधेयक में उल्लिखित अन्य वस्तुओं, अर्थात् कोयला, मोटरों के भाग और पुर्ज़े, कागज़, पेट्रोलियम तथा उस के उत्पाद, और अन्य मदों के बारे में सभा का समय नहीं लूंगा । खण्ड २(क) की मद (११) में हम ने अग्रेतर कहा है :

> "किसी अन्य वर्ग का पदार्थ, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक पदार्थ घोषित कर दे ...."

हो सकता है कि किसी भी समय किसी अत्यावश्यक पदार्थ की बहुतात अथवा अभाव हो सकता है । ऐसी अवस्था में हमें नियंत्रण करना होगा । किन्तु वह पदार्थ ऐसा होना चाहिये जिस के बारे में संविधान की सातवीं अनसूची की तीसरी सूची की मद ३३ के अन्तर्गत संसद् को विधि बनाने का अधिकार हो । हम ने यह उपबन्ध केवल पूर्वविधान के विचार से किया है ।

यह इस विधेयक के बनाये जाने का मख्य कारण है। यह एक महत्वपूर्ण विधि है अत: मैं ने इस का प्रवर समिति को सौंपा जाना उचित समझा । अन्ततोगत्वा, मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इस विधि के उद्देश्य से पूर्णत: सहमत होगी, अर्थात् यह कि अत्यावश्यक पदार्थों के बारे में नियंत्रण की आवश्यकता को मानेगी । किसी भी देश के लिये इस प्रकार के अधिकारों के बिना काम चलाना असम्भव है और संकटपूर्ण है । किन्तु इस के साथ ही हमें आशा है कि हमें सभा के सभी सदस्यों का सहयोग और सम्पर्क प्राप्त रहेगा, जिस से हमें यह पता चलता रहे कि किन्हीं विशेष पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाना अथवा उन से प्रतिबन्ध हटाना कहां तक न्यायसंगत है । इस प्रकार हम यह भी जानना चाहेंगे कि यह नियंत्रण कार्य किस प्रकार चल रहा है । इस विषय में होने वाली चर्चा हमारे लिये अत्याधिक लाभदायक होगी क्योंकि अत्यावश्यक पदार्थों के बारे में न केवल हमारे लिये यह जानना आवश्यक है कि क्या हमारी शक्तियां ठीक प्रकार की हैं, वरन् यह भी कि क्या उन का प्रयोग उचित ंग से किया जा रहा है । अत: इस विधि के सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों से बहुत उत्तम सुझाव प्राप्त होने की आशा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मिस्टर चैयरमैन, हमारे उद्योग मंत्री ने जो यह इसेन्शियल कमोडिटीज बिल पेश किया है, मैं समझता था कि आज जब कि खुशक़िस्मती से कंट्रोल वगैरह के क़ानून खत्म होगये हैं, तो इस तरह का बिल वे बहुत सतर्कता से, होशियारी से और बहुत खबरगीरी के साथ आगे के लिये पेश करेंगे । प्लान्ड एकोनामी तथा कंट्रोल बुरी चीज नहीं है लेकिन हमारे यहां पिछले सालों में जिस तरह कंट्रोल ने वर्क किया है, उसे देखते हुए हमें शक़ होता है कि आगे चल कर फिर कहीं वही धांधली शुरू न हो जाय । आप मुझ से इसमें असहमत नहीं होगें कि गत वर्षों में जिस वक़त कि यहां पर अन्न, चीनी, कपड़े

और तेल का कंट्रोल था उस समय हम लोगों का मारेल कितना नीचे गिर गया था। इस परिस्थिति के लिए हम किसी को न अलग करना चाहते हैं न किसी पर दोषारोपण करना चाहते हैं। लड़ाई के बाद और लड़ाई के समय में हमारे वहां जो कंट्रोल्स आये, वह हमारी नैतिकता को इतना नीचे ले गये कि जिसकी कोई हद नहीं थी और अवस्था इस हद तक पहुंच गयी थी कि यह कहना बड़ा मुश्किल था कि कोई भी इससे वंचित है और कौन आदमी इससे अपने को अलग रख सकता है ? आपको याद होगा कि जिस वक़्त हमारे देश में चीज़ों की बड़ी कमी थी और कंट्रोल जारी थे, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने अपनी जोरदार आवाज़ कंट्रोल्स के खिलाफ उठायी थी और उनका कहना था कि भले ही देश में कुछ लोग भूखे रहे जांय और गैर कपड़े के रह जांय लेकिन कंट्रोल्स को क़ायम रखना उचित नहीं है, क्योंकि भुखे रहने से तो कुछ ही लोग मर जायेगें लेकिन नैतिकता का पतन होने से सारा देश मर जायगा। हम देखते हैं कि उनकी बात कितनी सच थी। इन कंट्रोलों का ही नतीजा है कि हमारी नैतिकता का काफी पतन हुआ है। हमारी सरकार कंट्रोलों के क़ानूनों को लागु करने में उतनी सफल नहीं हो सकी और लोगों को करप्शन के चंगुल से बचाने में उतनी सफल नहीं हो सकी जितना कि वह होना चाहती थी और उसे होना चाहिये था। हो सकता है कि यह उनके क़ाबू के बाहर की बात रही हो या तो जहां ब्रीचेज़ जनरल हों वहां कानून की रक्षा करना हमारे शासकों के बूते की बात नहीं है। आपने देखा कि न केवल प्रान्तों में ही बल्कि सैंट्रल गवर्नमेंट के भी सेक्रेटरीज़ प्रासिक्यूट हुए, एक, दो पर मुक़द्दमा भी चला लेकिन कितने और उन चीजों में शामिल थे यह नहीं कहा जा सकता। उस जमाने में जब कंट्रोल था, तो किसी चीज़ को मेंहगा करने का एक ज़रिया यह कंट्रोल हो गया था। लोग कहा करते थे कि यदि किसी चीज़ को मेंहगा करना हो तो उस पर कंट्रोल लगा दो। हमारे देहात में एक बहुत ही गंदा कुआ था। उस का पानी साफ नहीं होता था, लोग उस को पसन्द नहीं करते थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उस के पानी पर कंट्रोल लगा दिया जाय तो वह तुरन्त साफ हो जाय। तो लोग कंट्रोल का मतलब यह समझते थे। जिस वक्त किदवई साहब मिनिस्टर हुए उस वक्त फूड पर कंट्रोल था मिनिस्ट्री में आने के बाद उन्होने यह आवाज लगाई कि कंट्रोल उठा दिया जाय। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो फैक्ट्स ऐंड फिगर्स हैं वह रिलायबल नहीं हैं। हिन्दुस्तान में अन्न काफी है, लेकिन हम लोग नाहक कंट्रोल लगा कर उस को मेंहगा करते हैं। हम ने उन की बात को पीछे चल कर देखा कि उन की बात में सत्यता थी। जैसे जैसे कंट्रोल हटता गया, वैसे वैसे हमारे देश में गल्ला सस्ता होता गया। आज भी आप देखिये कुछ चीज़ों पर कंट्रोल है। लेकिन हमारे यहां कंट्रोल से चीज़ें नहीं मिलतीं। अगर कंट्रोल के अन्दर कीमत १ रु० १ आ० है तो बाजार में खुले आम वह १ रु० १२ आ० में मिलता है। गवर्नमेंट उस को रोक नहीं सकती है। हां, जो लोग हाकिमों को खुश नहीं कर सकते हैं उन पर केस जरूर चलते हैं। कभी भी केवल ब्रीचेज के लिए केस नहीं चलते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलते हैं जो अफसरों को खुश नहीं कर सकते हैं।

अगर कोई एसेन्शियल चीजें हैं जिन के बिना गवर्नमेंट का काम न चलता हो, तो उन पर कंट्रोल जरूर रक्खा जाय, जैसे आज गवर्नमेंट को अपने डेवेलपमेन्ट के कामों के लिये लोहे की बहुत जरूरत है उस पर आप कंट्रोल रखिये लेकिन फूडग्रेन और फाडर पर कंट्रोल की क्या ज़रूरत है ? मैं नहीं

[पंडित डी० एन० तिवारी]

जानता कि कभी भी किसी जगह फाडर पर कंट्रोल लगा हो, देहातों में या शहरों में जब फाडर की कमी हो जाती है तो वह रुपये का चार, और पांच सेर बिकता है। लेकिन इस पर आज तक कोई केस नहीं चला। न गवर्नमेंट चलाना चाहती है और न अफसरान ही चलाना चाहते हैं। क्योंकि एक तो उन की पाकेट गरम होती है और दूसरे वह उस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। वह डिमान्ड के मुताबिक सप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इस लिये ऐसी चीजों पर कंट्रोल लगाना कहां तक जायज है यह मेरी समझ में नहीं आता है।

यह बिल चूंकि गवर्नमेंट बिल है, इस लिये पास तो होगा ही, लेकिन मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से कहूंगा कि वह इस में ऐसी चीजों को न डाल दें जिन पर वह खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। आज फूडग्रेन्स के सम्बन्ध में कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? आज तो यहां पर रोज रोज फालिंग प्राइसेज के बारे में बहस होती है। यह सवाल उठता है कि दाम रोज व रोज गिर रहे हैं। तो क्या हम यह समझें कि यह फालिंग प्राइसेज को रोकने का तरीका है और चीजों को मेंहगी करन की गरज से यह कंट्रोल लगाया जाता है? या इस में सचमुच कोई राज़ छिपा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी चीज़ की तरफ जब सरकार हाथ बढ़ाती है तो लोगों की दृष्टि उधर जाती है और वह समझते हैं कि शायद इस चीज की कमी कहीं हो रही है और इस भय के कारण यह कंट्रोल लगाया गया है। इस के कारण कुछ दिनों के लिये चीज महंगी हो जाया करती है। तो जब अन्न इतना सस्ता हो रहा है, फाडर की कमी नहीं है फिर इन चीजों पर कंट्रोल क्यों लगाया जा रहा है? मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों से कहूंगा कि इन चीजों पर वह गौर करें और इन चीजों पर कंट्रोल न लगायें जो आज देश में बहुतायत से मिल रही ह। हां, अगर कभी जरूरत हो कंट्रोल करने की तो आप के हाथ म शक्ति है, दो मिनट में आप आर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं, पार्लियामेंट बुला कर बिल पास करा सकते हैं या ऐडिशन करवा सकते हैं। लेकिन झूठ मूठ एक शक्ति अपने हाथ में रखने के लिये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

अभी हम लोगों के प्रश्न पूछने पर मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में सप्लाई विभाग के क रीब ६०,००० आदमी बेकार है। एक तरफ तो आप उन को हटाते जाते हैं कि कंट्रोल जारी रखने की मंशा नहीं है और दूसरी तरफ से आप ऐसे कानून ला रहे हैं। इस की आखिर क्या जरूरत है? किस लि ऐसा बिल लाया जा रहा है? हमारे कुछ भाई धीरे धीरे बोलते हैं कि "बिल मस्ट बी देअर" तो बिल तो आप के हाथ की बात है, जब चाहे पास कर दें। क्यों बिल मस्ट बी देअर? आप उन चीजों पर कंट्रोल रखिये जिन की कमी हो, लेकिन जो बहुत हैं उन पर कंट्रोल रखने की क्या जरूरत है? खैर, मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स में जाना नहीं चाहता, न इस में कोई बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा कि तमाम चीजों को, जिन की कमी नहीं है, कंट्रोल से बाहर रखिये।

साथ ही आप बिल के सेक्शन १३ और १४ देखिये।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

बात असल यह है कि किसी भी मुकदमे में कुसूर साबित करने का भार प्रोसीक्यूशन पर रहा करता है, लेकिन इस में आप यह भार डिफैन्स पर डाल रहे हैं। आप को साबित करना है कि हां, साहब आप नहीं रख सकते हैं। आप के यहां रेकार्ड हैं, आप रेकार्ड पेश कर सकते हैं कि फलां आदमी को

लाइसेन्स नहीं दिया गया। उस गरीब पर आप यह भार क्यों डाल रहे हैं ?

दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरों का नैतिक स्तर क्या होता है। बहुत से केसेज केवल वैर विरोध पर हुआ करते हैं। सेक्शन १३ के अनुसार आप ने उन को अक्षुण्ण बना दिया। ऐसे वैर विरोध बहुत काम करते हैं और लोगों पर केस चलते हैं। आप सभी को इस का तजर्बा होगा। खास कर जो १००, ५० रुपया पाने वाले जो लोग होते हैं जब वह अफसर हो जाते हैं तो चाहे जिस मतलब से हो कुछ लूटने के लिये या वैर विरोध के लिये, या उन की बात नहीं मानी गई, इसलिये मुकदमा चला दिया। तो वह लोग तो अक्षुण्ण रहते हैं, उन के ख़िलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। आप को तो इस में ऐसा रखना चाहिये कि जिस से अगर अफसरान कोई गलती करें तो उन पर भी मुक़दमा चल सके। हायर आफ़िसरों की हालत यह है कि किसी छोटे अफसर के खिलाफ यदि किसी ने दरख्वास्त भेजी तो वह दरख्वास्त घूम फिर कर उसी अफसर के यहां जाती है या उस के किसी भाई बन्द के यहां जाती है कि इस बात की एन्क्वायरी कर के भेज दो। बड़े से बड़े लोग मुकदमा चलाना चाहते हैं या उस पर स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में ३, ६ या ८ महीने लग जाते हैं जिस में वह आदमी ऊब कर मामले को छोड़ देता है या फिर उस मामले को ही दबा दिया जाता है। मेरा तो यही अनुभव है। हमारे यहां एक आदमी था उस ने मार्केटिंग इन्स्पेक्टर पर और एक व्यापारी पर मिल का चावल बेचने का केस चलाया। केस सच्चा था। लेकिन इस तरीके से उसे मैनिपुलेट किया गया कि मुकदमा करने वाले आदमी पर मुकदमा चल गया। इसलिये पब्लिक सफ़र न करे, ईमानदार लोग सफ़र न करें, बेईमानों को सजा हो, इस की कोई गुंजाइश इस में रखिये, नहीं तो, अगर आप ने सब इख्तियार और सब अक्षुण्णता अफसरों को दे दिया तो फिर आप उस पर क्या कंट्रोल रखियेगा, यह कहा नहीं जा सकता।

इसलिये इतनी ही चन्द बातें आप के सामने रख कर मैं चाहूंगा कि इस में से कम से कम ऐसी चीजें निकाल दी जायें जो इस समय बहुतायत से हैं। कम से कम फूडग्रेन्स और फाडर और ऐसी ही दूसरी चीजें तो इस में से हटा ही दी जायें।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : अत्यावश्यक सम्भरण (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा १९४६ में अधिनियमित किया गया था। इस का कार्यकाल २६ जनवरी, १९५५ तक सीमित था। २६ जनवरी १९५५, को इसे पुनर्जीवित करने के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया था। अब हमारे सम्मुख यह विधेयक लाया गया है जो प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है।

मैं मुख्यत: इस विधेयक में सम्मिलित परिभाषाओं का ही उल्लेख करना चाहता हूं। इस में "खाद्य पदार्थ, जिस में खाद्य तिलहन और तेल भी सम्मिलित हैं" का उल्लेख है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ सकी है कि केवल तेलों का ही उल्लेख क्यों किया गया है। अन्य पदार्थ भी तो हैं। क्या सरकार उन वस्तुओं का अधिक उत्पादन नहीं चाहती ? सरकार ने कितनी ही केन्द्रीय समितियां नियुक्त की हैं, अर्थात् भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति, भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति, भारतीय केन्द्रीय चाय समिति इत्यादि। अत: यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि यहां इन पदार्थों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है केवल खाद्य तिलहन तथा तेल का ही उल्लेख क्यों है। इसी प्रकार खाद्य की फसलों में गन्ने की फसल भी आ जाती है। अत: खाद्यान्न और खाद्य की

[श्री एस० सी० सामन्त]

फसलों की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिये कि इस अधिनियम में किसी प्रकार की अनियमितता न हो ।

मैं देखता हूं कि उस में अभ्रक का भी उल्लेख है । प्रवर समिति द्वारा इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि अभ्रक को क्यों छोड़ दिया गया है ।

दूसरी मद सूती तथा ऊनी वस्त्रों के संबंध में है । इस में भी रेशम को छोड़ दिया गया है । भारत में रेशम के उद्योग पर बड़े ध्यान की आवश्यकता है । हमारे यहां भारतीय केंद्रीय रेशम बोर्ड भी है । इसलिये मैं इस उद्योग के छोड़े जाने का कारण नहीं समझ सका ।

सभापति महोदय : इस विधेयक का वास्तविक आशय कतिपय वस्तुओं के वाणिज्य और व्यापार पर नियंत्रण करने से है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस का संबंध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, संभरण तथा वितरण से भी है । श्रीमान्, नियंत्रण की आवश्यकता उस समय होती है जब समान वितरण से हानि होने लगे अन्यथा नियंत्रण लाभदायक नहीं होते । हमें इस का पर्याप्त अनुभव भी है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि केवल उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाय जोकि अनिवार्य हों—जो वस्तुयें बहुतायत में प्राप्त हो सकें, उन्हें सम्मिलित न किया जाये ।

मुझे आशा है कि प्रवर समिति इस विधेयक पर पूरा पूरा ध्यान देगी—इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति को सौंपे जाने के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में दो एक आपत्तियां हैं । आपको ज्ञात है कि जब संविधान बनाया गया था, उस समय इस प्रकार की कार्यवाही के लिये आपात काल को दृष्टि में रखा गया था और वह भी एक अस्थायी समय के लिये । सत्ता जो भी है वह लोगों के हितों के लिये ही है, न कि सरकार के लिये ; किन्तु उन अधिकारों को स्थायी बनाने के लिये हमारी सरकार ने संविधान में संशोधन किया ।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस समय हमारे देश की स्थिति वैसी ही असंतोषजनक है जैसी कि संविधान के बनाये जाने के समय थी ? वर्तमान विधेयक इस बात को स्थायी बनाने के लिये है । यदि आप राज्यों, केन्द्रीय तथा समवर्ती सूचियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी अनिवार्य वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उत्पादन, निर्माण, नियंत्रण विक्रय तथा वितरण राज्यों का ही विषय है । इसमें कृषि वस्तुएं तो विशेषकर ऐसी ही हैं । इसलिये वर्तमान विधेयक राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है—निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि अधिकारों का प्रयोग सोच समझ के बाद ठीक ढंग से किया जायेगा ।

किन्तु, वास्तव में ऐसा नहीं किया जाता और इस प्रकार कई राज्यों के हितों को हानि पहुंचती है । अतः मैं यह कहूंगा कि प्रवर समिति इस सम्बन्ध में संरक्षणों का कोई उपबन्ध अवश्य करे । कई धाराओं की भाषा व्यापक अर्थ रखती है, और उनके व्यापक अर्थों का प्रयोग किया जा सकता है । 'प्रासंगिक' 'आवश्यक' आदि शब्द इसके उदाहरण हैं । जिन संरक्षणों का उपबन्ध किया जाये, उनके बारे में पहले राज्य सरकारों से सलाह तथा अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये । इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

हम यहां पर नियंत्रण की आवश्यकता के सिद्धान्तों पर चर्चा नहीं कर रहे । यह ठीक है कि राज्यों को अधिकार होना चाहिये—किन्तु नियंत्रणों के बारे में हमारा

पुराना अनुभव क्या है ? इससे समाज कलुषित हो जाता है। मैं अपने अनुभव से यह बात कहता हूं कि यदि आप किसी वस्तु को बाज़ार से गायब करना चाहते हों तो उस पर नियंत्रण लगा दीजिये। इस सम्बन्ध में मेरे पास मद्रास राज्य के एक नगर में हुई इसी प्रकार की एक घटना का उदाहरण भी है। मुझे विश्वास भी है और खेद भी कि कितना अच्छा प्रबन्ध क्यों न किया जाये, किन्तु फिर भी उसी प्रकार की बातों का हो जाना आवश्यक है। चोर बाज़ारी का आरम्भ होना आवश्यक है। ज ऐसे किसी विधेयक को स्थायी रूप में संविधि पुस्तक में लाना ही है तो उसमें केवल ऐसी ही वस्तुएं सम्मिलित की जायें जो बहुतायत में उपलब्ध नहीं हैं। पशुओं के चारे को सम्मिलित करने का कारण समझ से बाहर है। इसी प्रकार से तिलहन के बारे में भी कहा जा सकता है। दक्षिण में तिलहन का अधिक उत्पादन होता है। किन्तु नियंत्रणों से कृषकों को बड़ी हानि होती है—राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में केन्द्र को अभ्यावेदन भी दिये हैं—और इसका परिणाम यही होता है कि पारस्परिक कटुता उत्पन्न हो जाती है।

मैं यह प्रार्थना करता हूं कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करे कि इन वस्तुओं की कीमत पहले से ही निर्धारित की जाये—ताकि बाद में उत्पादकों को कोई हानि न हो और ऐसा न हो कि हानि के कारण उनके उत्साह कम हो जायें और वह लोग उत्पादन ही न करें—इसलिये कीमतों का निर्धारण पहले ही हो जाना चाहिये—जिससे कि वे लोग उत्साहपूर्वक उत्पादन करते चले जायें।

प्रवर समिति से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इन वस्तुओं का परीक्षण किया जाये और ऐसी वस्तुओं को इससे बाहर रखा जाये जो कि आवश्यक नहीं हैं।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह बताना है कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह सुझाव दिया है कि श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक के ऊपर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये एक घंटे का समय दिया जाये। इसे १० मार्च, १९५५ को ५ बजे से ६ बजे तक रखा जायगा। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : राज्य-सभा में इस विषय पर कितना समय लगा था ?

सभापति महोदय : मैंने तो सभा को कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से सूचित किया है।

श्री डी० सी० शर्मा : एक घंटा पर्याप्त नहीं है।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : एक घंटा तो बहुत ही कम है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : क्या कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष इसे ऐसे रखा गया था जैसे कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हो ?

श्री नम्बियार : इस विधेयक के लिये कम से कम दो घंटे का समय तो अवश्य होना चाहिये।

श्री सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : उस दिन नहीं, और किसी दिन।

सभापति महोदय : अभी तो ५ से ६ बजे तक इसे रखा गया है। श्री नम्बियार ने इसे ७ बजे तक रखे जाने के लिये सुझाव दिया है।

डा० सुरेशचन्द्र : किन्तु मेरे विचार में उस समय पर्याप्त गणपूर्ति न होगी।

सभापति महोदय : खैर, अभी तो इसे वैसे ही रहने दिया जाये। इस समय सभा का क्रम यही रहेगा।

अत्यावश्यक पण्य विधेयक

श्री काजमी (जिला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फैजाबाद दक्षिण–पश्चिम): मैंने एक संशोधन की सूचना दी है और अब मैं प्रवर समिति के सदस्यों तथा सभा की जानकारी के लिये उसके कारण बताना चाहता हूं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक विधेयक के पारित हो जाने के बाद नियम सरकार बनाती है। इस बात के लिये ध्यान की बड़ी आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में, जिस शिकायत के बारे में मुझे पता लगा है, मैं उसे सभा के सामने रखता हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम आदि बनाये गये हैं उससे हकीमों तथा वैद्यों के रासायनिक शरबत आदि बनाने में भी अतिक्रमण होता है। इस बात को औषध अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये था। उस अधिनियम में इस बात का भी उपबन्ध नहीं है। सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष नियम बनाया, जिसका आशय यह था कि यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें शरबत आदि को साफ बोतलों में बन्द करके बेचा जायेगा और उन पर यह लेबल लगाया जायेगा कि यह शरबत औषधीय उपयोग आदि के लिये है। इसका अर्थ यह है कि इस कार से शर्बत आदि को छूट दी जायेगी।

प्रश्न तो इस परीक्षा का था कि क्या वह शर्बत आदि औषधीय प्रयोगों के लिये है अथवा नहीं—सो जो परीक्षा रखी गई है वह लेबल तक की ही है और लेबल लगाने से ी सारा काम हो जायेगा। यदि लेबल के ाग पर कोई और फलों आदि के चित्र हों तो वह इस आदेश के अधीन आ जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना करता हूं कि औषधीय चीज़ों के विनियमन के लिये नियम वनाये जाने चाहियें।

मैं चाहता हूं कि इन औषधियों पर नियंत्रण होना चाहये—किन्तु खाद्य विभाग वाले औषधि वालों के अधिकार का अतिक्रमण न करें। जो लेबल वाली परीक्षा निर्धारित की गई है वह ठीक नहीं है—इसलिये मैंने इस संशोधन की सूचना दी है। औषधियों आदि पर नियंत्रण एक पृथक विधि द्वारा ही किया जाये। अत्यावश्यक पण्य विधेयक द्वारा यह कार्य न किया जाये। हमें इसे खाद्य विभाग के नियंत्रण में नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : क्योंकि माननीय सदस्य श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक के विचारार्थ अधिक समय चाहते थे, इसलिये मैं समझता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश में निम्न संशोधन रखा जाये :

"कार्य मंत्रणा समिति को सिफारिशों से सहमत होते हुये सभा यह सुझाव देती है कि विधेयक के लिये अधिक समय देने का प्रश्न उस समय लिया जाय जब कि सभा इस विधेयक पर विचार करे"

मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

माननीय सदस्य : जी हां।

अत्यावश्यक पण्य विधेयक

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं इस विधेयक के बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं। खंड ३(२)ख में उपबन्ध किया गया है कि व्यर्थ पड़ी कृषि योग्य भूमि में खेती

किये जाने का आदेश दिया जा सकता है। मैं समझता हूं इस बात को किसी भूमि सुधार सम्बन्धी विधि में लाया जाना चाहिये। भूमि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर इस विधेयक द्वारा नियंत्रण किया जा सके। प्रवर समिति को भी इस बात पर विचार करना चाहिये।

उसी खंड के अन्तर्गत एक और आदेश भी दिया जा सकता है जिससे व्यर्थ भूमि में खेती की जाने की अनुज्ञप्तियों का विनियमन हो सकता है। केन्द्र के बारे में मुझे पता लगा है कि आदेश का केवल अनुमोदन कर दिया जाता है और उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। किन्तु राज्य एक और प्रणाली का अनुसरण करते हैं। वे आदेशों के प्रारूप राजपत्र में प्रकाशित करते हैं और छः सप्ताह का समय सुझाव आदि लेने के लिये रखा जाता है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार का उपबन्ध इस विधेयक के बारे में भी किया जाये ताकि लोगों के सन्देह कम हो जायें। मैं ये दो सुझाव ही देना चाहता था।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मुझे खेद है कि मेरे मित्र श्री करमरकर सभा में उत्तर देने के लिये लौट नहीं सके---इसलिये मुझे उनकी ओर से उत्तर देने की आज्ञा दी जाये। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मैंने वाद-विवाद को बड़े ध्यान से सुना है और मैंने सुझावों को नोट कर लिया है जो कि मैं अपने मित्र श्री करमरकर को बताऊंगा। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है; अतः जो भी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर वहां ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा। मैं तो केवल यह ही कह सकता हूं कि हमें श्री वेंकटरामन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को श्री एन० एम० लिंगम, डा० सुरेश चन्द्र, श्री गनेश सदाशिव आल्तेकर, श्री बसन्त कुमार दास, श्री घमंडी लाल बंसल, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री भागवत झा 'आज़ाद', श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री रामचन्द्र भाई एन० शाह, श्री नन्दलाल जोशी, श्री चौधरी मुहम्मद शफी, श्री विश्वनाथ राय, श्री खुशी राम शर्मा, श्री देवेश्वर सर्मा, श्री बनारसी दास झुनझुनवाला, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री नरेन्द्र पी० नथवानी, श्री शिवराम रांगोराने, श्री टेक चन्द, श्री तुलसीदास किलाचन्द, श्री अशोक महता, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री ए० एम० थामस, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री कमल कुमार बसु, श्री तुषार चटर्जी, श्री डी० पी० करमरकर, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे यह अनदेश दिया जाये कि वह अपना प्रतिवेदन १५ मार्च, १९५५ तक प्रस्तुत करे"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—जारी

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे सामान के अवैध कब्ज़े के अपराध के लिये दंड-सम्बन्धी विधि, जैसी कि वह अब प्रवर्तित है, का सारे भारत में विस्तार का उपबन्ध, तथा इस के उपबन्धों का पुनः अधिनियमन करने वाले विधेयक पर, राज्य-

[श्री अलगेशन]

सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्रीमान्, यह एक छोटा सा विधेयक है जिससे दो बातों की उपेक्षा की जाती है—एक तो इससे रेलवे सामान (अवैध कब्जा) अध्यादेश, जिसे कि ११ मई, १९४४ को प्रख्यापित किया गया था और जो अब तक भी सारे ब्रिटिश इंडिया पर लागू है, का स्थानापन्न हो जायेगा, और दूसरे इस विधान का सारे गणतंत्र में उपबन्ध किया जायेगा, ताकि लोगों को रेलवे सामान पर अवैध कब्जा करने तथा उनका ऐसा विपणन आदि करने से रोका जाये जिससे कि रेलवे के प्रवर्तन को खतरा हो जाता है । गत युद्ध में यह आवश्यक हो गया था कि इस प्रकार का उपबन्ध किया जाये कि जिस भी व्यक्ति के पास रेलवे सामान की कोई भी वस्तु मौजूद है, उसे कारावास का दंड दिया जा सकेगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है, अथवा उसे जुर्माना किया जा सकता है अथवा दोनों ही दंड दिये जा सकते हैं, यदि न्यायालय के पास इस बात के युक्तियुक्त कारण हों कि यह वस्तु रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति है ; और जब तक कि वह व्यक्ति यह सिद्ध न कर दे कि वह वस्तु उसके कब्जे में वैध रीति से आई है ।

किन्तु यह एक अध्यादेश था इसलिये इसके परिवर्तन के बारे में कई राज्यों को ज्ञान ही नहीं था और इसको भाग (ख) राज्यों पर लागू भी नहीं किया गया था । पुलिस तथा सुरक्षा संगठनों को इस लिये इन समाज विरोधी तत्वों, जो कि रेलवे सामान के पण्य से लाभ उठाते रहे हैं, से निपटने में कठिनाईयां आती रही हैं । कई महत्वपूर्ण रेलवे केन्द्रों में राज्यों को अपराधियों के अभियोग के सम्बन्ध में पर्याप्त कठिनाइयां आई हैं—क्योंकि यह अध्यादेश भाग (ख) के राज्यों में लागू नहीं था । इसी दोष के उपचार के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है । जब इस विधेयक को पारित कर दिया जायेगा तब रेलवे सम्मान (अवैध कब्जा) अध्यादेश समाप्त हो जायेगा और उसके उपबन्ध समस्त भारत संघ में जिनमें भाग (ख) राज्य भी सम्मिलित हैं, लागू होंगे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैंने विधेयक को भली प्रकार देख लिया है । रेलवे उपमंत्री ने अभी बताया कि यह एक छोटा सा विधेयक है और देश के सभी भागों में, भाग 'ख' राज्यों को छोड़ कर एक अध्यादेश के रूप में प्रचलित भी है अतः इसी विद्यमान विधि को भाग 'ख' राज्यों में भी लागू कर देना चाहिये ।

पर मेरा मत है कि गवर्नर-जनरल द्वारा १९४४ में जारी किया गया यह अध्यादेश क्यों आगे जारी रहने दिया जाये । मैं चाहता हूं कि इस समय सभा इस सम्बन्ध में भली प्रकार विचार करे और इस अध्यादेश को हटा दे । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

इस विधेयक में 'रेलवे सामान' के अन्तर्गत रेलवे के निर्माण, कार्य संचालन या संधारण के लिये काम में आने वाली सभी सामग्री जैसे कोयला, इस्पात, पत्थर, पुरजे और बजरी तक भी, सम्मिलित हैं । और इस प्रकार का कोई भी सामान यदि किसी व्यक्ति के पास से बरामद होगा और वह यह सिद्ध नहीं कर पायेगा कि उसके पास यह सामान वैध रीति से पहुंचा है तो न्यायालय उसे पांच वर्ष तक की सजा दे सकता है । इस समय की अवस्था से मैं समझता हूं कि

कोई भी व्यक्ति इस विधेयक को स्वीकार करने को राजी न होगा ।

मैं स्वीकार करता हूं कि १९४४ में आपात काल था । युद्ध में लोहे की बड़ी आवश्यकता थी अतः उस समय अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता थी । में रेलवे के सामान या लोहे की वस्तुओं का मूल्य अब भी कम नहीं मानता । आज केवल रेलवे ही नहीं, बल्कि बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, लिमिटेड भी है । क्या वायुयान की मशीनों या पुरजों को चुराना अपराध नहीं है ? यदि हिन्दुस्तान एयरक्रैफ्ट फैक्टरी से वायुयान का कोई पुर्जा खो जाय तो वह अपराध सामान्य विधि के अधीन माना जायेगा । तो फिर रेलवे के सामान की चोरी का मामला किसी विशेष विधि के अधीन क्यों आना चाहिये । क्या वायुयान के पुर्जे महत्वपूर्ण नहीं हैं ? मैं जानता हू कि हमें इस प्रकार की चोरियां खत्म करनी हैं, पर क्या केवल रेलवे में ही ? नहीं सर्वत्र ! नैतिक आधार पर मैं रेलवे की चोरियों का विरोध करता हूं पर उसके लिये यह उपाय काम में लाना मेरे विचार से उचित नहीं है । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

माननीय मंत्री ने बताया है कि यह एक सीधा-सादा विधेयक है, इसे पारित कर देना चाहिये । पर क्या उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश किये हैं कि १९४४ के पश्चात् ११ वर्षों में रेलवे के सामान की चोरी के कितने मामले पकड़े गये, कितना सामान बरामद हुआ और कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और कितनों को सज़ा दी गई ! क्या वह इस सभा या देश की जनता के सामने सिद्ध कर सकेंगे कि स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इस प्रकार के उपायों को काम में लाना बड़ा आवश्यक हो गया है ? मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आंकड़े पेश करें ।

मैंने इस विधेयक के ऊपर राज्य सभा की चर्चा को भी पढ़ा है । वहां भी किसी सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया है ।

हम लोगों ने इस सभा में निवारक निरोध अधिनियम जैसी कठोर विधियां भी पारित की हैं । यह कोई साधारण विधि नहीं थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना परीक्षण के जेल में डाला जा सकता है । इसका विरोध भी हुआ था पर माननीय गृह मंत्री ने स्वयं बताया कि देश की वर्तमान अवस्था में असामाजिक तत्वों को दबाने के लिये सरकार के पास इस प्रकार की शक्ति का होना आवश्यक है । उसके बाद हमने दंड विधि (संशोधन) विधेयक पारित किया । अभियुक्त के कुछ अधिकारोंको रद्द करने के सम्बन्ध में भी काफी वाद-विवाद हुआ । पर इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री न जाने क्यों बिल्कुल शान्त हैं । क्या वह इसे कोई महत्वपूर्ण विधेयक नहीं समझते ? इस विधेयक के अनुसार १० लाख रेलवे कर्मचारियों और तीसरे दर्जे की यात्रा करने वाली जनता को मिला कर लगभग ६५ करोड़ व्यक्तियों को पुलिस पदाधिकारी इस प्रकार के अधिकारों का अनुचित लाभ उठा कर कभी भी परेशान कर सकते हैं । हम इतनी जनता को इस खतरे में नहीं डालने देंगे । १९४४ में अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति थी पर अब वैसी परिस्थिति के पैदा होने की आशा नहीं है । निस्संदेह मैं रेलवे में होने वाली चोरियों को खत्म करने के पक्ष में हूं । अभी हाल में मैंने एक पुलिस अधिकारी को एक ऐसे मामले की बात बताई है जिसमें रेलवे पदाधिकारी के पास रेलवे का सामान पकड़ा गया है ।

आज भी ९० प्रति शत रेलवे पदाधिकारियों के मकानों पर रेलवे का सामान पाया जा सकता है आज ही पांच बज के बाद

[श्री नम्बियार]

माननीय मंत्री तथा गुप्तचर अपने विभाग के किसी भी रेलवे पदाधिकारी के यहां मेरे साथ चल सकते हैं तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि उनके यहां रेलवे का सामान ज़रूर निकलेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : वह सामान चोरी का नहीं होगा ।

श्री नम्बियार : यदि किसी पदाधिकारी के घर सामान निकले तो वह चोरी का नहीं होगा और यदि किसी कर्मचारी के यहां निकले तो चोरी का होगा !

नये अधिकारी इस प्रकार का कार्य क्रम करते हैं पर पुराने पदाधिकारी ऐसा काम खूब किया करते हैं । रेलवे पदाधिकारी अपनी मोटर में रेलवे का सामान रख कर वर्कशाप से ले जाते हैं पर ३५ रुपये वेतन पाने वाला चौकीदार उन्हें कैसे रोक सकता है । इसी प्रकार के बहुत से मामलों की सूचनायें मैंने रेलवे प्रशासन और भ्रष्टाचार जांच समिति को दीं पर वे पदाधिकारी अब भी अपने पदों पर हैं । जिन मामलों का पता नहीं चलता उन्हें जाने दीजिये पर जिन मामलों की सूचना रेलवे प्रशासन को दी जाती है, उनमें कार्यवाही की जानी चाहिये । पर ऐसा नहीं किया जाता । इस विधेयक को पारित करने का यह परिणाम होगा कि कल रेलवे इंजन वर्कशाप का कोई फिटर या रेलवे फिटर यदि किसी फाइल या स्पेनर को इसलिये घर ले जायेगा, कि दूसरे दिन उसे लौटा लायेगा तो पुलिस यदि उसे फंसाना चाहती हो, उसे चोरी के अपराध में फांस कर ५ वर्ष की सजा दिला सकती है ।

इस प्रकार रेलवे की चोरियों को रोकने के लिये रेलवे प्रशासन को रेलवे कर्मचारियों और कार्मिक संघों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । यदि आप उन्हें कुछ अधिक वेतन दें और वे अधिक संतुष्ट हो जायें तो वे आपके लिये अधिक धन भी कमा सकते हैं । कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि यदि रेलवे पदाधिकारियों या अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला हो तो कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । यदि ऐसा किया जायेगा तो छोटे कर्मचारी स्वयं ठीक हो जायेंगे ।

इसके अलावा साम्प्रदायिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिये । जातीयता की भावना पदाधिकारियों में नहीं होनी चाहिये । उत्तर भारत और दक्षिण भारत के निवासियों के सम्बन्ध में भेद भाव की भावना भी हानिकारक है ।

उक्त बातों में सख्ती बरतनी चाहिये । और इस कार्य के लिये सामान्य विधि ही पर्याप्त है, इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । चोरी करने वाले को सामान्य विधि के अधीन दण्ड दिया जा सकता है ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इसका अर्थ यह नहीं कि मैं रेलवे की चोरियों के पक्ष में हूं ।

इस विधेयक में एक और त्रुटि भी है । मान लीजिये मैं रेलवे का कोई सामान चुराता हूं और अपने मित्र श्री मोरे को देता हूं । मैं भाग जाता हूं तो पकड़े जाने पर श्री मोरे को सिद्ध करना पड़ेगा कि वह सामान उसके पास वैधानिक प्रकार से आया है । ठेकेदार चाहे कितनी भी शरारत करें पर रेलवे कर्मचारी जो वहां उपस्थित होता है वही पकड़ा

जाता है । इस प्रकार रेलवे की नौकरी और यात्रा दोनों खतरनाक हो जायेंगे ।

भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन सभी प्रकार की चोरियों पर दण्ड दिया जाता है । ५ रुपये की चोरी करने पर दण्डाधीश १५ दिन की सजा या ५० रुपया जुर्माना कर सकता है और डकैती के मामले में तीन, पांच या दस साल तक की भी सजा देता है पर इस विधान के अनुसार रेलवे के छोटे-से-छोटे सामान चुराने पर भी पांच वर्ष की सजा दी जा सकेगी । अतः इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें । बाद में हम लोग इस पर विचार करेंगे । मुझे आशा है कि सभा हमारे विचारों से सहमत होगी और इस समय इस विधेयक को नहीं पारित होने देगी ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, ७ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।